

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 764वै बैठक दिनांक 06/06/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमैनशिप में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No. P2/798/24 Shri VISHAL KALIA, Owner, Professors Colony, Chhindwara District Chhindwara (MP) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.12 ha. (33,000 cum per annum) (Khasra No. 44, 40, 42/1-2-3-4) Village Narangi Tehsil Mohkhed District Chhindwara (M.P.). [MIN/467150/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पत्थरउत्खनन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 24.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक विशाल कालिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुरशर्मा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री विशाल कालिया	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी	3.120Ha.
स्थल	Village Narangi, Tehsil Mohkhed, District Chhindwara (M.P.).	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के पत्र क्रमांक.1218 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया बी-2	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नारंगी दिनांक 10.05.24	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 33,345घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 33,345 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 298 दिनांक 21.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.120 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 298 दिनांक 21.02.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 298 दिनांक 21.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	डैम/नहर/ग्रामीण /पक्का रास्ता, कच्चा रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घुसिया मॉलजिला डिंडोरी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02.01.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	बाहर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 05 ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— पक्का रास्ता 220 मी.
	दक्षिण दिशा—भू स्वामी की भूमि
	पूर्व दिशा— पक्का रास्ता 75 मी. उक्त दिशा में परियोजना प्रस्तावक ने 125 मी सेटबैक छोड़ा गया है जिसमें लगभग 1.40 हे रकवा नो माइनिंग एरिया रहे तदपश्चात 1.72 हे रकवा उत्खनन हेतु शेष बचता है
	पश्चिम दिशा— स्टॉप डैम 540 मी. बैरियर जोन खुदा हुआ जिसका पुनर्भरण प्रस्तावित है साथ ही पास में कुछ गड्डे हैं जो परियोजना प्रस्तावक ने बताया की पूर्व में स्वीकृत खदान के हैं । साथ ही खदान क्षेत्र के पास कुछ टिन शेड बने दिख रहे हैं जो परियोजना प्रस्तावक ने बताया की स्वयं की भूमि खसरा न. 40 पर कंस्ट्रक्शन की मशीनों के लिए बनाये गए हैं।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के page नं.-31 के सरल क्रमांक-63 पर दर्ज है ।

उक्त खदान पूर्व में डिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है जिसकी शर्तों में फेंसिंग आंशिक अपूर्ण है, खदान क्षेत्र के आसपास 300 वृक्षारोपण किया गया है, सीएसआर में परियोजना प्रस्तावक द्वारा गाँव की सड़क बनायीं गयी है । खदान DGPS रिपोर्ट में दी गयी जीपीएस रीडिंग द्वारा प्रस्तुत की गयी है खनिज

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

अधिकारी छिंदवाडा के पत्र क्र. 760 दिनांक 31.05.24 द्वारा सत्यापित की गयी है I आसपास पर्यावरणीय मापदंड अनुसार सेंसिटिव एरिया देखा गया जिसमें एक पक्का रास्ता 75 मी. दूरी पर स्थित है जिसकी सुरक्षा हेतु 125 मी का सेटबैक सरफेस प्लान में दिखाया गया है जिसे नो माइनिंग एरिया 1.40 हे छोड़ा गया है जिसके पश्चात 1.72 हे रकवा खनन हेतु उपलब्ध है I खदान के उपरी एवं पश्चिम दिशा में कुछ शेड बने दर्शित हो रहे हैं जिसे प्रस्तावक द्वारा स्वयं की भूमि खसरा न. 40 में बने स्टोरेज शेड बताया गया है उक्त खदान क्षेत्र के उपरी हिस्से में हरित पट्टी दिख रही है जिसे प्रस्तावक द्वारा बनाया गया है I उत्तरी दिशा में खदान पहुँच मार्ग दिख रहा है जो प्रस्तावक द्वारा बनाया है I खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसे पुनर्भरण हेतु प्रस्तावित किया गया है साथ ही परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उक्त खदान के पास खुदा हुआ हिस्सा दिख रहा है जो की पूर्व में संचालित खदान का है I

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 33,345 घन मीटर प्रति वर्ष।
2. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

EMP Table (Capital & Recurring Cost) 12.38 lakhs & 03.18 lakhs

S.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Hiring of 01 water tanker (4000L) @ Rs.300/Day (PP owned tanker) for 300 days – Rs. 90,000/-	-	90,000
2	Garland Drain (1.5 m wide, 2 m deep, 1066m Long) 1 settling tank (4 m wide, 10 m Long, 4 m Deep)	50,000	60,000
2 (A)	Wire Fencing Around Lease Area (1066m) (80% Completed)	1,07,000	10,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	Remaining Fencing 20 % = 214m *Rs. 500 = 1,07,000		
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (70m)	35,000	5,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone 3000 x Rs.200	9,00,000	90,000
	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 600 (600 X Rs.500)		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	-	40,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 5000/year for maintenance.	30,000	5,000
8	Medical Check-up for 15 workers @500/worker (twice in a year)	-	7500
9	First Aid Box & Fire fighting equipments @21000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	42,000	2000
10	PPEs for other mining operations for 15 worker@ Rs. 1500/worker	22,500	-
11	Shelter rooms for labors (20*20)= 400 Square feet @Rs.800/square ft (Completed)	32,000	3000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	5000	2000
13	Half yearly PUC certification for 02 trucks @1000/truck	-	2000
14	Signage & Warning Boards	5,000	-
15	For reduction of the carbon emission distribution of Solar Power System to the nearby School	50,000	-
16	Restoration of Barrier Zone	1,50,000	-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	Total	14,38,500	3,18,500
--	-------	-----------	----------

CER Table

आगामी 5 वर्षतक	सी.इ.आर. मदसेप्रस्तावितगतिविधि	राशि (रु. में)
1	नारंगी माध्यमिक शाला में बच्चो केवैठक व्यवस्था के लिए बेंच की राशि पालक शिक्षक संघ के खाते में जमा की जाएगी	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, आम, कटहल, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ	400
3.	गाँववितरण	आम, कटहल, अचार, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	1200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

2. Case No. P2/806/24 KIRTI THAKUR, Owner, Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (11,400 cum per annum) (Khasra No. 12, 14/3-4, 15, 29/1tha, 16) Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.). [MIN/466052/2024 (DEIAA-Re-appraisal) (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पत्थरउत्खनन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 24.05.2024 को परियोजना प्रस्तावककीर्ति ठाकुरएवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुरशर्माउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	कीर्ति ठाकुरग्राम आमबोह तह चौरई जिला छिंदवाडा (म. प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी	2.00Ha.
स्थल	Village Amaboh, Tehsil Chourai, District Chhindwara (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाछिंदवाडा के पत्र क्रमांक. 544 दिनांक 23.03.2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया बी-2	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम आमबोह दिनांक 10.05.24	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 11,400घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

उत्पादन	किया गया है और अनुमोदित खनन योजना एवं पूर्व डिया ईसी अनुसार 11,400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 384 दिनांक 13.03.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 384 दिनांक 13.03.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 384 दिनांक 13.03.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण /पक्का रास्ता, कच्चा रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आमबाहोजिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.08.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	बाहर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों की संख्या - 03 ● यदि पेड़ों का या अन्य संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण नो माइनिंग एरिया - 0.20 हे. में

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— खाली भूमि
	दक्षिण दिशा— पक्का रास्ता 350 मी.
	पूर्व दिशा— पक्का रास्ता 700 मी.
	पश्चिम दिशा—भू स्वामी की भूमि
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के page नं.-34 के सरल क्रमांक-77 पर दर्ज है ।

उक्त खदान पूर्व में डिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है जिसकी शर्तों में फेंसिंग पूर्ण है, खदान क्षेत्र के आसपास 100 वृक्षारोपण किया गया है। खदान DGPS रिपोर्ट में दी गयी जीपीएस रीडिंग द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसे खनिज अधिकारी छिंदवाडा के पत्र क्र. 761 दिनांक 31.05.24 द्वारा सत्यापित किया गया । आसपास पर्यावरणीय मापदंड अनुसार सेंसिटिव एरिया देखा गया जिसमें एक पक्का रास्ता 350 मी. दूरी पर स्थित है खदान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम दिशा में 03 पेड़ हैं जिन्हें सुरक्षित रखकर 20 मी सेटबैक नो माइनिंग एरिया 0.20 हे छोड़ा जायेगा एवं खनन हेतु 1.80 हे खनन हेतु बचा हुआ है जिससे प्रस्तावित उत्पादन निकाला जा सकता है सरफेस मैप पुनारक्षित कर प्रस्तुत किया गया। दक्षिण दिशा में प्रस्तावक द्वारा ड्रेन बनाया गया है । खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसे पुनर्भरण हेतु प्रस्तावित किया गया है साथ ही उक्त खदान के पास खुदा हुआ हिस्सा परिलक्षित हो रहा है परियोजना प्रस्तावक ने बताया उपरी मिट्टी वृक्षारोपण हेतु निकाली गयी थी जिसका पुनर्भरण किया जा चुका है जीपीएस फोटो दर्शाई गयी है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 11,400 घन मीटर प्रति वर्ष।
2. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :-

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost) 12.50 lakhs & 02.72 lakhs

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

S.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Hiring of 01 water tanker (4000L) @ Rs.300/Day (PP owned tanker) for 300 days – Rs. 90,000/-	-	90,000
2	Garland Drain (1.5 m wide, 2 m deep, 612m Long) 1 settling tank (4 m wide, 10 m Long, 4 m Deep)	30,000	40,000
2 (A)	Wire Fencing Around Lease Area (Total - 612m) (80%Completed) 20% Remaining – 123m* Rs500 = 61,500	61,500	6,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (700m)	3,50,000	35,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone 2200 x Rs.200	4,40,000	40,000
	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 400 (400 X Rs.500)		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	-	40,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 5000/year for maintenance.	30,000	5,000
8	Medical Check-up for 10 workers @500/worker (twice in a year)	-	5000
9	First Aid Box & Fire fighting equipments @21000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	42,000	2000
10	PPEs for other mining operations for 10 worker@ Rs. 1500/worker	15000	-
11	Shelter rooms for labors (20*20)= 400 Square feet @Rs.800/square ft (Completed)	32,000	3000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	5000	2000
13	Half yearly PUC certification for 02 trucks @1000/truck	-	2000
14	Signage & Warning Boards	5,000	-
15	For reduction of the carbon emission distribution of LED Bulbs to the nearby Village	30,000	-
16	Restoration of Barrier Zone	2,00,000	-
	Total	12,50,000	2,72,000

3. CER Table

आगामी 5 वर्ष तक	सी.इ.आर. मदसेप्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1	आमाबोह माध्यमिक शाला में अधोसंरचना विकास हेतु	60,000

4 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, आम, कटहल, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ	400
3.	गाँववितरण	आम, कटहल, अचार, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	500
4	नॉन माइनिंग एरिया	आम, कटहल, निम्बू, सीताफल	200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No. P2/989/24 Shri GHANSHYAM, R/o-Pigdumber, Mhow Indore, District-Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.10 ha. (Stone – 5000 m³/year) (Khasra No. 125/1/3) Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.). (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

4. Case No. P2/964/24 Shri Shyam Sharma. GANGA MAI SANTAR MURAR – GWALIOR, Distt. – Gwalior (M.P.) 474001, Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine for Making Gitti Through Crusher at Khasra No.– 37,17/2] an Area - 1.00 ha., at Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 3,990 M³/ Year. ToR, DEIAA to SEIAA. (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

5. Case No. P2/985/24 Shri SANJEEV MISHRA. Mine Owner, Gandhi Nagar, Near Dainik Jagaran Press, Urrahat, Huzur, Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.20 ha. (8526 cum per annum) (Khasra No. 144/4 & 146/2) Village -Jonhi, Tehsil- Huzur , District- Rewa (M.P.) (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

6. Case No. P2/998/24 Shri RAJESH SHARMA, Lessee, R/o-Gyatri Nagar Jaitapur Khargone, District- Khargone, M.P. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (Murrum - 8820 Cu.mt/year) (Khasra No. 76/1) Village- Rajpura, Tehsil- Gogawan, District- Khargone (M.P.) SIA/MP/MIN/472004/2024 (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश शर्मा पिता स्व.श्री दीनदयाल शर्मा ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री राजेश शर्मा पिता स्व.श्री दीनदयाल शर्मा निवासी- गायत्री नगर जैतापुर-खरगोन	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 76/1 (सरकारी भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	Hectare.2.00
स्थल	Village-Rajpura Tehsil -Gogawan, District-Khargone (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 11/खनिज/2016 दिनांक 02/04/2016 के द्वारा स्वीकृत है।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला खरगोन के पत्र क्रमांक- 108/DEIAA/2016 दिनांक 10/08/2016 के द्वारा मुरुम -8,820 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरुम-8,820 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरुम-8,820 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3127/खनिज/2024 दिनांक 05.03.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

की अनापत्ति	क्रमांक 3127/खनिज/2024 दिनांक 05.03.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3127/खनिज/2024 दिनांक 05.03.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 24/पचा./15 दिनांक 08.09.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- में 60मी. की दूरी पर एक कच्ची सड़क है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के PDF पेज नं.-45 के सरल क्रमांक-77 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	50 पौधे 7.5 मी. बेरियर जोन में लगाये गए व 100 पौधे ग्राम वासियों को वितरित किये गए एवं निकटम ग्राम में 50 पौधे = कुल 200 पौधे
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 8820 घनमीटर/ वर्ष
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा 06 माह में कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.1.57 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>	Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 750 m Long) 1. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep 2. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m	95000	10,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	<p style="text-align: center;">deep</p> <p>3. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep All settling tanks will be of double "S" pattern.</p>		
3	Maintenance of Approach road (Road length approx. 150 m, Width 6.0 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	75,000	15,000
4	Monitoring twice a year AAQM @8000/yr, Water@3000/yr, Noise@2000/yr Soil@2000/yr	NIL	15,000
5	Plantation (Total 2400 saplings will be planted)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @200rs./tree 1 st year -up to ~850 m periphery of Mine lease boundary (1250 nos)	2,50,000	10000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1 st year- 100 nos. on evacuation route up to 150 m both side (@ Rs. 300/tree) 2 nd year- 500 nos. at Village Temple is @Rs 200/plant 1 st year- 1000 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs. 50/tree)	30,000 10,000 50,000	15,000
	Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	4,750	1000
6.	Total Wire Fencing = (~850 m long) - {40% completed= 340 m} (60% Remaining to be installed = 510 m @200 Rs./m)	1,02,000	20,000
7.	PUC certification of vehicles (1 Dumpers @ Rs 500 per dumper)	----	500
	Labor Welfare		
8.	Drinking Water Facility at rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	50,000	10,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	5,000
10.	Occupational health check-up for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	16,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000)	16,000	4,000
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	2,000
13.	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	-
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 100 nos @Rs100/bulb for mitigation of carbon.	10,000	
	Total	7,67,750	1,57,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम राजपुरा केशासकीय विद्यालय विकास हेतु में राशि भू प्रवेश मिलने के 6 माह के भीतर पालक शिक्षक संघ के बैंक खाते में जमा की जावेगी ।	50,000/-
कुल	50,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर ज़ोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सफेदसिरिस, सीताफल, चिरोल आदि ।	1250
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 150 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि ।	100

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

3	ग्राम राजपुरा में स्थित मंदिर परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, कचनार, नीम आदि	50
4	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No. P2/1002/24 Shri ASHOK AGRAWAL, Village- Bhikangaon, District- Khargone (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone – 20370 m3/Year) (Khasra No. 23) Village – Banjari & Tehsil – Bhikangaon, District – Khargone (M.P) SIA/MP/MIN/472849/2024 (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 06.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक Ashok Kumar Agrawal S/o Shri Mohanlal Agrawal एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Ashok Kumar Agrawal S/o Shri Mohanlal Agrawal Resi- Bhikangaon, Tehsil & District – Khargone, State – Madhya Pradesh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	सरकारी 2.0Ha.
स्थल	Village: Banjari, Tehsil: Bhikangaon, District – Khargone (M.P)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगोन के पत्र क्रमांक 569/ खनिज/2015 खरगोन दिनांक 16.10.2015 के अनुसार स्वीकृत।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का उत्पादन क्षमता 20,370 घनमीटर/वर्ष			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर कोर्डिनेट्स नहीं है		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है			
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बंजार) दिनांक - 14.04.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, खरगोन के पत्र क्रमांक 57/DEIAA/ 2016 खरगोन दिनांक 30.05.2016 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त ।			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	B2 Case (डिया प्रकरण)			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 20,370 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1441/खनिज/2023 खरगोन दिनांक 18.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 1 खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिससे दोनों खदानों का कुल रकबा 5.00 Ha होता है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1441/खनिज/2023 खरगोन दिनांक 18.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल			

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1441/खनिज/2023 खरगोन दिनांक 18.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमनखेड़ी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 06.05.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर	लीज क्षेत्र पर क्रशर प्लांट प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपण किया है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – 173 मीटर दूर दक्षिण दिशा में नहर पश्चिम दिशा– 552 मीटर दूर पश्चिम दिशा में पक्की रोड
सिया में ई.सी. हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	डिया प्रकरण
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	B2 Case

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई । समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपणकिया है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककृए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर— 20370 घनमीटर/वर्ष है।
2. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
- 5- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.87 लाख प्रति वर्ष।

3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये रु—

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	30,000	10,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 300 days	Nil	60,000
2	Four Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [567 m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	85,050	10,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1000 m , Width 6.0m) 1000m @ 100Rs./Meter	1,00,000	5,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	20,000
5	Plantation (2000 plants will be planted & Distribution during the First year)	2,80,000	15,000
6	Wire Fence 567 m x 100	56,700	10,000
7	Crusher Pollution Equipment	1,50,000	50,000
Carbon Sequestration			
8	For Carbon Foot print tree adaptation	50,000	50,000
Labour Welfare			
9	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (06 x 15 feet)	10,000	1,000
10	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
11	Occupational health Survey 06 Labour @ 500 Rs. = 6000 Rs./twice per year @500 x 2 x 06	Nil	6,000
12	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 06 labor @ 800 Rs.	14,400	2,000
13	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
14	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	1,000
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	1500	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
15	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
16	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	Total EMP Cost	8,12,650	2,87,000

3. CSR Table

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 10000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	ग्राम बंजारी के शासकीय माध्यमिक शाला को मरम्मत हेतु	1,00,000
Total		1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधोंकीकुलसंख्या - 2000				
अवस्था	प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतुनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियां	पौधोंकीसंख्या	टिप्पणी
प्रथमवर्ष	बैरियरजोन	नीमखमेर, सिरस(कालाऔरसफ़ेद), जंगलजलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सूएवंअन्यस्थानीयप्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> • पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5 मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा। • परिनालीकेनिर्माणकेदौराननिकलीहुईमिट्टीमेंसूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिसऔरअन्यस्थानीयप्रजातियोंकेबीजबुवाई कीजाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमीविकसितकीजाएगी। • तारकीबाड़कीसुरक्षाकेसाथ। • गारलैंडड्रेनवसेटलिंगटैंककीबुंडपरबीजरोपणकिया जाइएगा।रखरखावलीजपीरियडतककियाजाएगा
	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> परिवहनमार्गकेदोनोंओरएकपंक्तिमें4 -5 फीटऊंचाईपौधोंकेवृक्षारोपणकिएजाएंगे। पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5 मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा। पौधोंकीसुरक्षाहेतुप्रभावशाली 6 फीटऊंचाईकाट्रीगार्ड।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्डेका आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डेमें गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।
ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400	<ul style="list-style-type: none"> गड्डेका आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डेमें गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. P2/1003/24 Shri Mukesh Jain. Lessee, M/S GRANITE INDIA, 43 Jawahar Road District Chhatarpur (M. P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 4.00 ha. (3000 cum per annum) (Khasra No. 2794, 2599/1/1K) Village Malhara Tehsil Maharajpur District Chhatarpur (M.P.) TOR 475282/2024 DEIAA- Re-appraisal

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

9. P2/1004/24 Shri Mukesh Jain. Lessee, M/S GRANITE INDIA, 43 Jawahar Road District Chhatarpur (M. P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 4.10 ha. (3000 cum per annum) (Khasra No. 794) Village Garhi Malhara Tehsil Maharajpur District Chhatarpur (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/475302/2024 DEIAA- Re-appraisal

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

10. Case No. P2/970/24 Shri Shyam Sharma, M/s Survodaya Manufacturer & Contractor, GANGA MAI SANTAR MURAR GWALIOR (M.P.)- 474001 Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine for Making Gitti Through Crusher, Lease Area: 0.50 Ha., Stone – 2,205 M3/Year. at Khasra No. – 3624/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.). ToR Case. DEIAA to SEIAA) SIA/MP/MIN/472112/2024.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

11. Case No. P2/979/24 Shri Rajendra Singh, Project Proponent, M/s KISHAN STONE CRUSHERS, WARD NO. 14, DOGARIYA TOLA, AMLAI COLONY AMLAI ANUPPUR(M.P.)- 484116, Prior Environment Clearance for Haweli Stone Quarry Lease, Gitty/Boulder - 12,348 M3/Year, Lease Area – 1.441 ha, Khasra No. - 518/1, 518/2, at Village- Haveli, Tehsil - Pushparajgarh, Distt.- Anuppur, (M.P.). ToR (DEIAA to SEIAA).

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

12. Case No. P2/1010/24 Shri Chandrasekhar Maina, R/o-Pahadsinghpura Khargone, District- Kharogone, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone – 7566 m3/Year) (Khasra No. 25) Village Adampura, Tehsil Khargone, District Khargone (M.P.). (TOR) SIA/MP/MIN/472971/2024

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

13. Case No. P2/995/24 Shri Vinod Kumar Khedia, Proprietor, M/s KISAN EXPORTS, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Tehsil- Kotma, Distt- Anuppur MP – 484440. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.247 ha. (2963 cum per annum) (Khasra No. 465, 469 466 & 467) Village- Malka, Tehsil- Maharajpur, District- Chhatarpur, (M.P.) TOR SIA/MP/MIN/474874/2024 DEIAA- Re-appraisal

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

14. Case No. P2/526/24 Shri Vijay Chaturvedi, Owner, Choube Mohalla, Rampurkalan, District-Morena (M.P.)- 476229, Prior Environment Clearance for Rampur Kalan Soil Quarry with a Production Capacity of 3,000 Cu.mt/year Soil at area is 1.31 (Private Land) in Khasra No. - 1001/1, 1132, Vill- RaamapuraKalan, Th.-Sabalgarh, District- Morena (M.P.). [MIN/462592/2024.]B2 Cat.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vijay Chaturvedi, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vijay Chaturvedi, Owner, Choube Mohalla, Rampurkalan, District-Morena (M.P.)- 476229, Prior Environment Clearance for Rampur Kalan Soil Quarry with a Production Capacity of 3,000 Cu.mt/year Soil at area is 1.31 (Private Land) in Khasra No. - 1001/1, 1132, Village- Raamapura Kalan, Tehsil- Sabalgarh, District- Morena (M.P.).

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	<u>SIA/MP/MIN/462592/2024.</u>		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. -1001/1,1132,	एरिया- 1.31 ha.,	निजी भूमि
परियोजना स्थल	Village- Raamapura Kalan, Tehsil- Sabalgarh, District- Morena (M. P.).		
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 879 दिनांक 04/08/2022.		
Description of Project	Soil mine quarry.		
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed.		
जल/वायु सम्मति स्थिति	Will take after getting EC.		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	मिट्टी- 3,000घन मी/वर्ष।		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.31 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	कार्या0. ग्राम पंचायत-रामपुर कलां, जिला -मुरैना द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 15/09/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।		
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted - लीज क्षेत्र में 02 पेड़ हैं जिन्हें काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।		
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा- .पक्का रोड 465 मी., उत्तर पश्चिम में 280 मी. पर शेड/बेयर हाऊस		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्र0. 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिले नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी।		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण दिशा में 75 मी. का आबादी परिलक्षित हो रही है जिससे 25 मी. सैटबैक छोड़कर संशोधित सरफेस मेप प्रस्तुत किया गया है जिसमें उत्खनन हेतु 1.17 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र दो भागों में है, जिसमें चिमनी स्थापित है तथा कुछ मकान भी है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चिमनी पुरानी है।

748वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 में प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- (1) मकानों के संदर्भ में सैटबैक छोड़ते हुए पुनर्नीक्षित सरफेस मेप।
- (2) कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का रिवाइज प्लान
- (3) ई.एम.पी. का रिवाइज प्लान
- (4) चिमनी का विवरण, ईट बनाने की तकनीकी, ईंधन की मात्रा/ ईंधन का प्रकार, रॉख प्रबंधन, इंमीशन कंट्रोल आदि की जानकारी।

उक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान दी गई जो समिति द्वारा मान्य की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 3,000 घन मीटर प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.58 लाख प्रति वर्ष।

S.	particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Water tanker (4000L) @ Rs.300/Day (PP owned tanker) for 300 days – Rs. 90000/-	-	90,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

2	Garland Drain (1.5m wide, 2m deep, 675m Long) 1 settling tank (4m wide, 10m Long, 4m Deep)	30,000	40,000
2 (A)	Wire Fencing Around Lease Area (675m * 500rs/m)	3,37,500	33,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (20m)	10,000	1,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone 1200 x Rs.200	3,90,000	39,000
	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 300 (300 X Rs.500)		
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
7	Separate Toilets for Male and Female @10000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	20,000	5,000
8	Medical Check-up for 5 workers @500/worker (twice in a year)	-	2500
9	First Aid Box & Fire fighting equipments @21000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	42,000	2000
10	PPEs for other mining operations for 5 worker@ Rs. 1500/worker	7,500	-
11	02 Shelter rooms for labors (20*20)= 400 Square feet	40,000	3000
12	Half yearly PUC certification for 1 tractor @1000/tractor	-	1,000
13	Signage & Warning Boards	2,000	-
14	For reduction of carbon emission through distribution of LED bulbs to nearby Villagers	20,000	-
	Total	9,09,000	2,58,500

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

आगामी 5 वर्षतक	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1	रामपुरकला हायरसेकण्ड्री शाला में 01 कंप्यूटर सिस्टम	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या
बैरियर जोन	नीम, करंज, आम, जामुन, कटहल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	1200
गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No. P-2/532/24 Ranjana Singh Tomar, A-1/8 Vinay Nagar, Sector 4, Gwalior Distt. – Gwalior (M.P.) - 473793. Prior Environment Clearance for Stone & M- Sand Quarry, Lease Area- 3.92 Ha., Capacity: (Stone- 50,000, M- Sand- 25,000) M3/ Year at Khasra No. - 2, Village- Magroni, Tehsil- Bairad, District- Shivpuri (M.P.). [MIN/460620/2023.]B2 Case.

प्रस्तावित पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान बी-2 श्रेणी के पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति रंजना सिंह तोमर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में इस प्रकरण को एसईएसी की 748वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 में पूर्व में अनुशंसित की गई ई.सी. (टी.पी.) में दी गई समस्त शर्तों का पालन करने संबंधी निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आंवटित क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है। तथा क्रेशर लीज एरिया के अन्दर स्थापित है। गूगल इमेज के अवलोकन से ई.सी. में दी गई शर्तों का वर्तमान में कोई पालन नहीं हुआ है। ऐसा परिलक्षित हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक 03 माह में ई.सी. में दी गई समस्त शर्तों का पालन करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की गई है।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Ranjna Singh Tomar, W/o Shri Amar Singh Tomar R/o : -A-1/8, Vijay Nagar Sector-4, District- Gwalior (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.920 Hectare.
स्थल	Village- Magroni, Tehsil- Bairad, District- Shivpuri(M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 4702 दिनांक 31/10/2019 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 10/08/2023, पत्थर- 50,000 एम-सेण्ड - 25,000 क्षमता-पत्थर एवं एम-सेण्ड -75,000 घनमीटर/वर्ष, ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	बी-2	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं एम-सेण्ड -75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 75,000 घनमीटर/वर्ष है।	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम– मगरौनी, दिनांक– 04/04/2024
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1453 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.920 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1453 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1453 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता /पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गाजीगढ़ जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 02/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं है
क्रेशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा- पक्का रास्ता लगभग 154 मीटर कि दूरी पर स्थित है इस संबंध में 46 मीटर का सेटबैक दिया गया है एवं बरसाती नाला लगभग 245 मीटर कि दूरी पर स्थित है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/02/2024

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में SEIAA समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनर् मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 60% पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है। पूर्व दिशा में आंशिक मात्रा में रीफ्लिंग कराकर में 7.50 मीटर पर लगभग 200 पौधे लगाये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	गारलेण्ड ड्रेन दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में लगभग 40% बनाई गई एवं एक सेटलिंग टैंक दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनाया गया है जिसके जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि आस-पास के ग्रामीणों को 5000 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	गाजीगढ़ ग्राम पंचायत के अन्तर्गत तीन गाँवों के प्राथमिक शाला में बच्चों को खेलने के लिए बालिवाल, बैटमिंटन, अदि काम किया गया एवं 02 कम्प्यूटर प्रदाय किये गये साथ ही पुस्तकालय के लिये पुस्तकें प्रदान की गईं। गाँव के सामुदायिक भवन में 15 सोलर लाईट सहित पोल लगाये गये। गाँव में 01 हेण्डपम्प लगाया गया है। इस संबंध में सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान 75,000 घनमीटर/वर्ष
2. पूर्व में अनुशंसित की गई ई.सी. (टी.पी.) में दी गई समस्त शर्तों का पालन एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्लेशर प्लान्ट एवं एम-सेण्ड हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्लेशर प्लान्ट एवं एम-सेण्ड में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.93 लाख प्रति वर्ष

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	93,870	-
1(b)	Water requirement- 2.086 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (230 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 Rs=2,40,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers :@ Rs. 50/plant.	3000 plants × 50 Rs=1,50,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	600 plants × 300 Rs=1,80,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 798 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (793 m) @200 rupees/meter.	1,58,600	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40 × 500 × 2)	-	40,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	-
18	1. Slurry Management Equipment: A) Slurry Pump Rs. 1,20,000 B) 2 Washing Tank (i.e 50,000 x 2) Rs.1,00,000 C) Slurry Tank Rs. 50,000 D) 2 Water Pump (i.e 20,000 x 2) Rs. 40,000	3,10,000	20,000
19	For Carbon containment (1024 Plants x 100 Rs / Plant)	1,02,400	
20	केशर प्रदूषण नियंत्रण की राशि	1,50,000	50,000
	TOTAL	15,59,855 /-	1,93,000/-

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,40,000 की राशी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,40,000 /-

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024**

1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3000
योग			4800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

16. Case No. 10080/2023 Shri ANIL CHATURMOHTA, Proprietor, Anil Chaturmohta Proprietorship of Arpan ferro Alloys S/o Indarchand Chaturmohta, Ward no. 11, Infront of FCI Kosmi, Balaghat District-Balaghat (MP), Prior Environment Clearance for Mohagaonghat Manganese Ore Mine in an area of 28.01 ha. (5741.77 cum per year) (Khasra No. 396), Village -Mohagaonghat, Tehsil- Waraseoni,, District-Balaghat (MP) Amendment in ToR.

प्रस्तावित खदान का समिति की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी । प्रकरण में सिया के पत्र क्रमांक 2807 दिनांक 12/02/24 के द्वारा मैग्नीज ओर-5741.77 घनमीटर/वर्ष हेतु टॉर जारी किया गया है ।

प्रकरण दिनांक 06/06/2024 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि पूर्व में जारी टॉर क्रमांक 2807 दिनांक 12/02/24 में रकबा 28.01 हे. के स्थान पर रकबा 28.02 हे. एवं खसरा नं. 396 के स्थान पर compartment No. PF 807 & 809 संशोधन करने का निवेदन किया इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर निर्धारित टॉर अमेन्डमेंट में आवेदन दिया गया है ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

उपरोक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त अनुरोध को मान्य करते हुये पूर्व में जारी टॉर क्रमांक 2807 दिनांक 12/02/24 में रकबा 28.01 हे. के स्थान पर रकबा 28.02 हे. एवं खसरा नं. 396 के स्थान पर compartment No. PF 807 & 809 संशोधन निम्न अतिरिक्त शर्त के साथ अनुशंसा करती है, शेष अन्य शर्तें यथावत रहेंगी :-

1. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA
2. Assessment of ecological services losses regarding flora and fauna.

17. Case No. P2/996/24 Shri LAKHWINDER PANAG, Lessee, 1238, Sector 90, Mohali, CHHATARPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (1,88,803 cum per annum) (Khasra No. 946,) Village Badourikala Tehsil Gaurihar, Dist. Chhatarpur (M. P.) B-2 SIA/MP/MIN/475151/2024 DEIAA-new

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

18. Case No. P2/994/24 Shri Sushil Joshi, Lessee, R/O- Bhokle Colony, District Khargone (M.P.)-451001 Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.0 ha. (Stone - 14,550 cum/year) (Khasra No. 297) Village- Balwadi, Tehsil & District-Khargone, Madhya Pradesh. B-2 SIA/MP/MIN/472463/2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील जोशी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील जोशी निवासी-भोकले कॉलोनी, जिला-खरगोन(म.प्र.)-451001
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	297PEKI (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट, नोइयत-चरनोइ भूमि) area-1.0ha
स्थल	Village- Balwadi, Tehsil & District-Khargone, State-Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 09/खनिज/18, खरगोन दिनांक 03/04/2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया
डिया ई.सी. का विवरण	पत्र क्रमांक 280/डिया/2018, खरगोन दिनांक 18/06/2018

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

(यदि लागू हो)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-14,550घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है, और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-14,550 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 106/खनिज/24, खरगोनदिनांक 22/04/2024अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई भी अन्य खदानसंचालित/स्वीकृति नहीं है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 106/खनिज/24, खरगोनदिनांक 22/04/2024 के अनुसार 100 मीटर की परिधि में नाला है एवं 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 106/खनिज/24, खरगोनदिनांक 22/04/2024अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवब साइट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता नहीं है। नाला 100मीटर की दूरी पर है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बलवाडी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 28/पंच/ 2017. दिनांक 24/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा में मेनगांव लेक 78 मीटर पर स्थित है। पश्चिम दिशा में कच्चा रोड 314 मीटर पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा में 100 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला स्थित है जिसमें पानी को रोकने के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी के कच्चे बंड बनाए गए हैं।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 90 के सरल क्रमांक-60 पर दर्ज है।
जनसुनवाई	लागू नहीं

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। केवल 20 प्रतिशत फेन्सिंग है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण नहीं है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	वर्तमान में गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक नहीं बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	पिट्स में बैचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	नहीं किया गया है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम पंचायत के जिर्णोधर, मंदिर, धर्माशाला, सी.सी. रोड सुधार कार्य के लिए गिट्टी 20एम.एम. 40 एम.एम. देने की सहायता कि गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता- पत्थर-**14,550** घनमीटर/वर्ष
2. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लांट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **10.257**लाख एवं रिकरिंग राशि रु. **4.29997** लाख प्रति वर्ष।

Sr. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1(b)	Cost of water of 2,000 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	90,000
2	Garland Drain is proposed (419mx 1.5mx1.5m) 1. Settling tank is 15m x 4m x 2.5 (02no.)	1,50,000	15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200mx5m) @300/sqm	3,00,000	30,000
4	Barbed fencing (449m x Rs.300)	1,34,700	1,347
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation -350plants for One years 350 xRs.200= Rs. 70,000/-	1,20,000	12,000
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation - 50plants for one years 50 xRs.500= Rs25,000/-		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 500 Plants for one (500 XRs. 50) = Rs. 25,000 /-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 14-15 labour@Rs.10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance	Already Provided	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000
9	Medical Check-up for 14-15workers @500/worker (twice in a year)	NIL	15,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	50,000	2,000
11	PPEs for other mining operations for 14-15workers@ Rs. 1500/worker	Already Provided	2,250
12	Shelter rooms for labors (15*10) =150 Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha.@9000	89,000	12,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 2trucks @1000/truck	NIL	4,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	20,000	NIL
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	Crusher is not install in mine lease area	
18	Vocational trainings for 14-15workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	NIL	7,500
19	Adoption of trees for carbon emission reduction	30,000	-
	Distribution of LED bulb for carbon emission reduction	10,000	-
20	Restoration of barrier zone and any other activity Related to mine	50,000	5,000
Total		10,25,700/-	4,29,997/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बलवाडीगांवकेग्रामवासियोकेलिएचिकित्साअधिकारीसेपरामर्शकरआयुष्मानअरोग्यमन्दिरकेखातेमेंयोगदानराषिजमाप्रथमवर्षमेंकिया जायेगा।	30,000/- -

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350
2	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	बलवाडी तथा आस-पास के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	380
4	बलवाडी शासकीय विद्यालय में	कचनार, पुत्ररंजीवा, मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	20
5	जल संरक्षण बांध में	खदान क्षेत्र के समीपस्थ निर्मित मिट्टी के जल संरक्षण बांध में 50-50 पौधें (कुल- 100पौधें) लगाये जायेंगे।	
6	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपयुक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. P2/973/24 M/s SHRI BANKE BIHARI SARKAR STONE CRUSHER, Shri Deepak Goyal S/o Shri Rajendra Prasad Goyal, Partner, 154, Defense Estate Phase-1, Bundu katra Gwalioire Road, Agra, (U.P.), -BILHETI, Tehsil Gird, District Gwalior (M.P.). Form-2 DEIAA to SEIAA. B2 Case Prior Environment Clearance for BILHETI STONE MINE, Lease Area: 1.30 Ha., Stone (Gitti) – 30,000 M3/Year. at Khasra No.- 48, Village

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक गोयल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीकृष्णचन्द्र पांडा (ऑनलाइन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---------------------------------------------

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कंपनी / संस्था का नाम व पता	Shri Deepak Goyal S/o Shri Rajendra Prasad Goyal, Partner, M/s Shri Banke Bihari Sarkar, Stone Crusher, 154 Defernse Estate, Phase-1 Bundu Katra, Gwalior Road, District-Agra (UP)-282001, Prior Environment Clearance for Bilheti Stone Mine in an area of 1.30 ha. (30,000 cum per year) (Khasra No.- 2034), Village-Bilheti, Tehsil & District-Gwalior (MP)	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नंबर— 2034	एरिया—1.30 ha. शासकीय भूमि (पहाड़ चरनोई)
परियोजना स्थल	ग्राम— बिल्हैटी, तहसील व जिला—ग्वालियर (म.प्र.)	
सैधातिक सहमति	पत्र क्रमांक 1585 दिनांक 13/10/2017	
परियोजना की श्रेणी	बी-2	
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Non Blasting Proposed (As per Approved Mining Plan/ Parivesh Portal uploaded information)	
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 210 दिनांक 13/09/2018 के माध्यम से श्री प्रशांत वर्मा पुत्र स्व. श्री विकासचंद निवासी ग्वालियर के नाम से जारी की गई है। वर्तमान में नाम परिवर्तन के साथ परिवेश पोर्टल के माध्यम से वांछित जानकारियों के साथ आवेदन प्राप्त हुआ है। (हस्तांतरण आदेश – पत्र क्रमांक 7200 दिनांक 25.02.2020)	
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 30,000 घन मी/वर्ष	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.160 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / नगर निगम की अनुमति	ग्राम पंचायत— बिल्हैटी जिला— ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक – 26 दिनांक 15/08/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेत्र नंबर – 20 के सरल क्रमांक –14 पर दर्ज है।	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा – पक्की रोड़ – 71 मीटर
---------------------------------	------------------------------------------

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुन मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन—30,000मी³ प्रति वर्ष।
2. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.17 लाख प्रति वर्ष।

EMP

S NO.	Particulars	Budget provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt. Cost for 300 days for 4.048 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 400/- per tanker	0	97152 /-
1(b)	Cost of one Water tankers (5000-liter capacity) =50,000/- Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 1.125 KLD @ 5 KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker	80,000	40,500

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1(c)	Discharge of waste water 300 days for 0.896 KLD @5KLD tanker capacity, Rupees 2000/per tanker	0	107520
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 90 m, Width 4.0m) @ 300Rs. /Meter.	27000	2700
3	Monitoring (Air, Water & Noise)	Nil	40,000
4	Grazing Land	20,000	10,000
5	Wire Fence 484 m x 500/- meter	242000	24200
6	One Settling tank (10 m (L) X 2.5 m (W) X 2 m (D)) & Garland drain (450 m (L) X 2 m (W))	25000	2500
Plantation Scheme			
7	Plantation in consultation with DFO & Gram Panchayat and conversion of Grazing land as far as possible. <ul style="list-style-type: none"> • In safety barrier = 726 No. of plant@150/per plant= 36000/- • Both sides of Approach Road= 90 No. of plants @avg/-200 per plant=7200/- • Distribution of Saplings in Villager 984 Nos*30/-=29520/- 	72720	4320/-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet)	20,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female (2 for Each)	50,000	20,000
10	Occupational health Survey 25 labour @ 500 Rs. /labour Rs. /twice per year @500 x 2 x 25	Nil	25,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 25 labor @1200 Rs.	30000	3000
12	First Aid Kits , Number of kits 3	5,000	1,000
13	Fire Safety (2 nos.) , @ 30,000	60,000	3,000
Solid Waste Management			
14a.	Bins 2 Nos.	1500	4,000
14b.	Transport of Dry Waste	5000	
15	Vehicle Maintenance +PUC Certification	Nil	25,000
16	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Carbon Sequestration			
17	Distribution of LED bulb to the villagers	20,000	0
Total		81,8220	417220

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S.No.	CER Activities	Capital Amount in INR
1	पालकशिक्षकसंघकेमाध्यमसेअग्रलिखितधनराशिगाँवकेस्कूलकेविकासपरखर्चकीजायेगी	44,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

2	गाँव में सफाई अभियान ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जायेगा जिसके लिए अग्रलिखित राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी	16,000
	Total	60,000/-

Plantation Scheme

ग्रामबिलेहटीमेंलगाएजानेवालेपेड़ोंकीकुलसंख्या1560			
क्र.	प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतु नियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	मात्रा (संख्यामें)
1	खदानकेबैरियरजोनमें(7.5m. X 1000 m.)	नीम, पीपल, शीशम, करंज, खामेर, चिरौलआदि	200
2	खदानकेपरिवहनमार्गएवंमुख्यमार्गमेंवृक्षारोपण (पौधोंकीन्यूनतमऊंचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, अर्जुन,जामुन, आमइत्यादि	100
3	ग्रामबिलेहटीकेग्रामवासियोंमेंपौधोंकावितरण	आम, कस्टर्डसेब, अमरुद, जामुन, शहतूतआदि।	1260

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No. P2/974/24 Shri Kartar Singh, Village-Rancholi Bisetha, Tehsil -Morena Hal Tehsil Bamor , Naurabad, District- Morena – 476444, Prior Environment Clearance for Rancholi Flagstone Quarry at Khasra No.– 83, an Area of 2.30 Ha., VILLAGE-RACHOLI, TEHSIL- MORENA, DISTRICT- MORENA (M.P.) with Production: Flag Stone - 3500 M3/ Year. Form-2, DEIAA to SEIAA. B2 Case.

प्रस्तावित फर्शीपत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री करतार सिंह गुर्जर पुत्र स्वं श्री साधुसिंह गुर्जर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाइन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Kartar Singh Gurjar S/o Late Shri Sadhu Gurjar Resi- Village- Rancholi Bisetha, Tehsil-Morena (M.P.)

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	83 (शासकीय – भूमि)		2.30 hectare.
स्थल	Village- Racholi, Tehsil- Morena (Banmore), District- Morena (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 23/02/2024 द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 16/03/2024, क्षमता– फर्शीपत्थर– 3,500 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी– 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम– रंचोली, दिनांक– 17/04/2024		
कुल उत्पादन क्षमता	क्षमता– फर्शीपत्थर– 3,500 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 340 दिनांक 21/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.30 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 340 दिनांक 21/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 340 दिनांक 21/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता / कच्चा रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रंचोली जिला मुरैना ठहराव प्रस्ताव क्र. 19 दिनांक 14/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – कच्चा रोड लगभग 305 में स्थित हैं।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फर्शीपत्थर खदान-3,500 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.13 लाख प्रति वर्ष

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost(in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	33,255	-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1(b)	Water requirement- 0.739 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (699 m in length x 6m in width)	1,00,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	Plantation within lease @ Rs. 200/plant. (700plants x 200 Rps=1,40,000/-)	3,32,500	15,000
	Plantation Along the Approach Road @ Rs. 300/plant (350plants x 300 Rps=1,05,000/-)		
	Plants to be distributed in nearby villagers @ Rs. 50/plant. (1750plants x 50 Rps=87,500/-)		
4	Garland Drains (1.5m Wide,2m Deep & 604 m Long) Two Settling Tanks are of 4 m wide, 15m long & 2.5 m deep.	80,000	5,000
5	Wire fence (899 m) @200 rupees/meter.	1,79,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler)	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000x2.	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 8 Labors -8x 500 x 2)	-	8,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 x 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 8 workers – 8 x1500).	12,000	2,000
12	Shelter rooms for labors (10x20)=200 Square feet	60,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck (1 Trucks x 1000 x 2 times in a year)	-	2,000
15	<ul style="list-style-type: none"> • Fodder plot & Grazing Land development. • Sowing Safed Castor ,babool& neem Seeds Etc. along the excavated garland drain. 	5,250	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar lights, (@ Rs. 8000/light) 2. 2 Web Camera, (per camera. @3500rupees) 3. Display Board at mine entrance.	22,000	-
TOTAL		8,89,805 /-	1,13,000/-

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 80,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	80,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2900** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	350
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1750
योग			2900

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No. P2/966/24 Shri Tanishk Jain, Jain Sadan, Mahal Road, Krishnapuram Colony, Shivpuri, Distt. - Shivpuri, (M.P.)- 473551, Prior Environment Clearance for Parichchha Ahir Stone & M-Sand Quarry for Production Capacity of Production - 45,000 M3/Year (Stone- 20,000 M3/ Year, M- Sand - 25,000 M3/ Year) having a lease area of 3.320 ha., at Khasra No. - 1483 (P), (Govt. land) Village - Parichchha Ahir, Tehsil- Pohri, District- Shivpuri (M.P.) B2 Case. SIA/MP/MIN/470482/2024.

प्रस्तावित पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री तनिष्क जैन पुत्र श्री पवन जैन एवं उनके

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाइन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Tanishk Jain, S/o Shri Pawan Kumar Jain R/o -Jain Sadan Mahal Road, Krishnapuram Colony District- Shivpuri (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1483 (शासकीय – भूमि)	3.320 Hectare.
स्थल	Village- Parichchha Ahir, Tehsil- Pohri, District- Shivpuri (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 438 दिनांक 11/03/2024 द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत मार्निंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 01/04/2024, कुल क्षमता – 45,000 घनमीटर/वर्ष, (पत्थर – 20.000, एम-सेण्ड – 25.000)	
स्वीकृत मार्निंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्निंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	बी- 2 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम- परिच्छा अहिर, दिनांक- 07/01/2023	
कुल उत्पादन क्षमता	क्षमता – 45,000 घनमीटर/वर्ष । (पत्थर – 20.000 घनमीटर/वर्ष, एम-सेण्ड – 25.000 घनमीटर/वर्ष)	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 590 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.32 हेक्टेयर होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 590 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 590 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता / कच्चा रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परिच्छा अहिर जिला शिवपुरी ठहराव प्रस्ताव क्र. 03 दिनांक 24/01/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – उत्तर-पश्चिम दिशा में तालाब लगभग 480 मीटर दूरी पर स्थित हैं। एवं उत्तर-पूर्व दिशा में पक्का रोड लगभग 365 मीटर दूरी पर स्थित हैं।
	पश्चिम दिशा– बरसाती नाला लगभग 55 मीटर दूरी पर है।
	दक्षिण दिशा– बरसाती नाला लगभग 70 मीटर दूरी पर स्थित है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	07/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान— 45.000 घनमीटर / वर्ष, (पत्थर –20.000,एम-सेण्ड– 25.000)
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट और एम-सेण्ड हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.68 लाख प्रति वर्ष

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	77,940	-
1(b)	Water requirement- 1.732 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (081m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000	
3.	PLANTATION SCHEME		4,75,000	15,000
	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1000plants × 200 Rs=2,00,000/-		
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 50/plant.	2500 plants × 50 Rs=1,25,000/-		
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	500 plants × 300 Rs=1,50,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 705 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000	
5	Wire fence (700 m) @200 rupees/meter.	1,40,000	5,000	
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000	
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda, etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 30 Labors -30 × 500 × 2)	-	30,000	
11	First Aid Box & Firefighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 30 workers - 30 × 1500)	45,000	2,000	
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000	
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000	
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000	
16	Miscellaneous Expenses such as follows : <ol style="list-style-type: none"> 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance. 	22,000	-	
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (864 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	86,400		
18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slurry Management Equipment: <ol style="list-style-type: none"> A) Slurry Pump Rs. 1,20,000 B) 2 Washing Tank (i.e 50,000 x 2) Rs.1,00,000 C) Slurry Tank Rs. 50,000 	3,10,000	20,000	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	D) 2 Water Pump (i.e 20,000 x 2) Rs. 40,000		
19	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
	TOTAL	17,06,525 /-	1,68,000/-

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु 1.40लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 1,40,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम परिच्छाअहिर के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,40,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **4000** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, कस्तार, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2500
4	आवेदित क्षेत्र से लगभग 200 मीटर दूर पश्चिमी क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय भूमि पर जो कंटूर ट्रेंचेस में बीजारोपण	नीम, बबूल, कस्तार, और कालासिरस	
योग			4000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P2/988/24 Shri NAVEEN AGRAWAL, Authorized Person, Village-Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (19,400 cum per annum) (Khasra No. 50/1/2) Village- Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P) B-2 SIA/MP/MIN/473249/2024 DEIAA- New

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

23. Case No. P2/965/24 Smt. Rekha Singh W/o Shri Rakesh Shekhawat, Owner, HIG-4, Darpan Colony, Tathipur Gird Gwalior , R.K. Puri, Gwalior, Distt. – Gwalior (M.P.) 474011, Prior Environment Clearance for Magroni Crusher Stone Quarry for Production Capacity of Stone - 35,000 m³/year, having a lease area of 3.90 ha., at Khasra No. - 2 (Govt. land) Village - Magroni, Tehsil- Bairad, District- Shivpuri (M.P.). B2 Case.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रेखा सिंह पत्नि स्वं श्री राकेश सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाइन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Rekha Singh , W/o Late Shri Rakesh Singh R/o-H.I.G. Darpan Colony Thatipur, District- Gwalior (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2 (शासकीय – भूमि)	3.90 hectare.
स्थल	Village- Magroni, Tehsil- Bairad, District- Shivpuri (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 436 दिनांक 11/03/2024 द्वारा स्वीकृत।	
पूर्व स्वीकृत		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष— 05/04/2024, क्षमता पत्थर— 35,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी- 2।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम—मगरौनी, दिनांक— 12/05/2024		
कुल उत्पादन क्षमता	क्षमता—पत्थर—35,000 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 518 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 518 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 518 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉप डैम/नहर/पक्का रास्ता / कच्चा रास्ता / नाला नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगरौनी जिला शिवपुरी ठहराव प्रस्ताव क्र. 02 दिनांक 09/08/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ग्रामPESAके अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में कोई वृक्ष स्थित नहीं है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	07 / 05 / 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान—35.000 घनमीटर /वर्ष,
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट और हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.43 लाख प्रति वर्ष

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	72,360	-
1(b)	Water requirement- 1.608 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (260 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 Rs=2,40,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby	3000 plants × 50	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	villagers: @ Rs. 50/plant.	Rs=1,50,000/-		
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	500 plants × 300 Rs=1,50,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 774 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000	
5	Wire fence (769 m) @200 rupees/meter.	1,53,800	5,000	
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000	
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25 × 500 × 2)	-	25,000	
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25 × 1500)	37,500	2,000	
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000	
14	Two dustbins & management system development of solid waste	5,000	2,000	
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000	
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-	
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (740 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	74,000		
18	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15,000	
	TOTAL	14,49,845 /-	1,43,000/-	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4700 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, कस्तार, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000
4	आवेदित क्षेत्र से लगभग 150 मीटर दूर पूर्वी क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा शासकिया भूमि पर जो कंटूर ट्रेंचेस में बीजारोपण	नीम, बबूल, कस्तार, और कालासिरस	
योग			4700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

24. Case No. P2/971/24 Shri Sanjeev Mittal S/o Shri Vasudev Mittal M/s Kailadevi Stones Partner, Niwasi-776, Sheel Nagar, Bahodpur,, District-Gwalior (M.P.). 282001, Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Mine for Making Gitti Through Crusher at Khasra No.- 135, an Area - 2.987 ha., at Village - Rafatpur, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 50,000 M3/ Year. ToR, DEIAA to SEIAA.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

25. Case No. P2/976/24 Shri Sunil Sharma s/o Ramavtaar Sharma, Proprietor, M/s Shiva Stone Crusher, Niwasi Birla Nagar, Gwalior (M.P.) - 474001. Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry at Khasra No.- 3717/2, an Area - 2.00 ha., at Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 38,808 M3/ Year. Form 2 DEIAA to SEIAA ToR Case. SIA/MP/MIN/475615/2024.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

26. Case No. P2/967/24 Smt. VINITA YADAV, W/o Shri Uttam Singh R/o 63, New Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, City Centre, District-Gwalior (M.P.) 474011, Prior Environment Clearance for Biloua Stone Mine Project at Khasra No.- 3717/2, an Area - 1.50 ha., at Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 45,684 M3/ Year. ToR Form 2 DEIAA to SEIAA.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

27. Case No. P2/986/24 Shri ABID MANSURI, Lessee, R/o-Indra Colony Panwadi, Shajapur, Tehsil & District-Shajapur(M.P.) Prior Environment Clearance for

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

Murrum Mine in an area of 2.00 ha. (9000cum per annum) (Khasra No. 890 & 891)
Village- Kithore, Tehsil- Gulana, District- Shajapur (M.P.) B-2
SIA/MP/MIN/472284/2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री आबिद खान मंसूरी पिता श्री जहूर खान मंसूरी ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री आबिद खान मंसूरी पिता श्री जहूर खान मंसूरी निवासी इंद्रा कॉलोनी पनवाड़ी तहसील व जिला शाजापुर
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा क्रं. 890,891 (सरकारी एवं निजी भूमि सहमति पर-नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.0 hectare.
स्थल	ग्राम -किठौर तहसील- गुलाना जिला- शाजापुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति अवधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 544/खनिज/2024 दिनांक 14/03/2024 के द्वारा स्वीकृत है 10 वर्ष हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरुम -9000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरुम -9000 घनमीटर/वर्ष
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 693/खनिज/2024 दिनांक 25.04.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 693/खनिज/2024 दिनांक 25.04.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 693/खनिज/2024 दिनांक 25.04.2024 अनुसार 500 मीटर की

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत किठौर जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2024/पचा दिनांक 02.03.2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	यह मुरुम उत्खनिपट्टा है अतः केशर प्लांट प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज में स्थित पेड़ों का विवरण- 6 • काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-3 • काटे जाने वृक्षों के एवज में अतिरिक्त लगाए जाने वृक्षों की संख्या- 30
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति का विवरण	उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में लगभग 30 मीटर पर एक हॉल रोड है । उत्खनिपट्टे के आस पास कुछ अन्य गड्डे परिलक्षित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त गड्डे पूर्व में अस्थायी अनुज्ञा हेतु कंपनी ओरिएण्टल इंपरा प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत खदान के हैं जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा सहायक मानचित्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं एक अन्य गड्डा किसान द्वारा स्वयं की निजी भूमि पर स्वयं के उपयोग हेतु तालाब निर्माण हेतु किया गया
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति का विवरण	नवीन प्रकरण- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 693/खनिज/2024 दिनांक 25.04.2024 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टे का नाम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता -मुरुम -9,000घनमीटर/वर्ष
2. म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
3. म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.60 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 600 m Long) 4. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep 5. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep 6. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep All settling tanks will be of double "S" pattern.	90,000	10,000
3	Maintenance of Approach road (Road length approx. 150 m, Width 6.0 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	75,000	15,000
4	Monitoring twice a year AAQM @8000/yr, Water@3000/yr, Noise@2000/yr Soil@2000/yr	NIL	15,000
5	Plantation (Total 2430 saplings will be planted)		
	B. Within Lease Area (In Barrier Zone) @200rs./tree 1 st year -up to ~680 m periphery of Mine lease boundary (1200 nos)	2,40,000	10000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1 st year- 100 nos. on evacuation route up to 150 m both side (@ Rs. 300/tree) 2 nd year-50 nos. at Village school is @Rs 200/plant 1 st year- 1080 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs. 50/tree)	30,000 10,000 54000	15,000
	Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed	6000	1000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	excavated garland drain & Settling tank.		
6.	Wire Fencing (~680m long) @Rs 200/m	2,04,000	10,000
	Curtaining with the GI sheet around the ML area 300m long (per sheet 2mX4m) Rs 1000/per sheet	1,50,000	10,000
7.	PUC certification of vehicles (1 Dumpers @ Rs 500 per dumper)	----	500
Labor Welfare			
8.	Drinking Water Facility at rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	40,000	10,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	5,000
10.	Occupational health check-up for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	16,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000)	16,000	4,000
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	5,000
13.	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	2,000
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 100 nos @Rs100/bulb for mitigation of carbon.	10,000	-
	Total	9,40,000	1,60,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम किठोर शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षक संघ के बैंक खाते में राशि भू प्रवेश मिलने के 6 माह के भीतर जमा की जावेगी।	40,000/-
कुल	40,000/-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौध की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां शासकीय भूमि :- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सफेदसिरिस, सीताफल, चिरोल आदि। निजी भूमि :- आवलों, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि	1200
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम उंचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
4	किठोर के शासकीय विद्यालय परिसर में (पूर्ण सुरक्षा के सहित)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, कचनार, नीम आदि	50
5	ग्रामववासियों में वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1080
योग			2430
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंट एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानिय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जावे। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृत के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No. P2/999/24 Shri Dinesh kumar Patidar, Lessee, R/o-Garoth, Tehsil- Garoth, District- Mandsaur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry and M-Sand in an area of 2.00 ha. (Stone – 5000 m3/Year and M-Sand - 3350 m3/Year) (Khasra No. 394/ Min-2) Village Nariya Buzurg, Tehsil Shamgarh, District Mandsaur (M.P.). B-2 SIA/MP/MIN/472196/2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 06.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश पाटीदार पिता रामकरण पाटीदार ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री दिनेश पाटीदार पिता रामकरण पाटीदार निवासी गरोठ तहसील गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा क्रं. 394/मिन-2 (शासकीय भूमि -नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम नारिया, तहसील-शामगढ़, जिला-मंदसौर	
लीज स्वीकृति अवधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1679/खनिज/2024 दिनांक 13/09/2023 के द्वारा उत्खनिपट्टा नवीनीकरण 29.08.2024-28.08.2034	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 45/DEIAA/2016 दिनांक 10/05/2016 के द्वारा पत्थर-8550 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-5000घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-3350घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन- 5000घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-3350घनमीटर/वर्ष	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 558/खनिज/2024 दिनांक 05.04.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 558/खनिज/2024 दिनांक 05.04.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 558/खनिज/2024 दिनांक 05.04.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नारिया बुजुर्ग जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Q/2013-14 दिनांक 26.01.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-1
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति का विवरण	उत्तर दिशा- में 160मी. की दूरी पर एक पक्की सड़क है, अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
	दक्षिण दिशा- में 15मी. की दूरी पर एक कच्ची सड़क है, अनुमोदित खनन योजना अनुसार कच्ची सड़क से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा ।
	दक्षिण दिशा- में 255मी. की दूरी पर एक पवन चक्की है, अनुमोदित खनन योजना अनुसार पवन चक्की से 300 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा ।
	पूर्व दिशा- उत्खनिपट्टे से 105 मीटर पर पूर्व दिशा में पोल फ़ैक्ट्री है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा । उत्खनिपट्टे से 240 मीटर पर पूर्व दिशा में एक पक्की सड़क है, अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
	पश्चिम दिशा - उत्खनिपट्टे के क्षेत्र के पश्चिम दिशा में बाहर का क्षेत्र खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा गूगल सैटेलाइट इमेज के माध्यम से बैक डेट गूगल इमेज के आधार पर यह पाया गया कि उक्त क्षेत्र पट्टेधारी को लीज स्वीकृत होने से काफी वर्ष पहले का वर्ष 2011 से पहले का खुदा हुआ है अतः प्रस्तावक द्वारा नहीं खोदा गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति का विवरण	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के PDF पेज नं.-40 के सरल क.-73 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशासित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 45 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बैरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित मार्किंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	30 पौधे 7.5 मी. बैरियर जोन एवं साइट ऑफिस के पास में लगाये गए व 50 पौधे ग्राम वासियों को वितरित किये गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत कार्य किये गए हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु योग्य है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर- स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम. सेंड-3,350 घनमीटर/वर्ष ।
2. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. लीज क्षेत्र 06 मीटर से ज्यादा खुदा हुआ है अतः डीजीएमसे अनुमति प्राप्त करें।
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित मार्इन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.70 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.97 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep 2. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep All settling tanks will be of double "S" pattern. 3 sedimentation tank 2m long 2m wide, 2m deep	70,000 60,000	10,000
3	Maintenance of Approach road (Road length approx. 380 m, Width 6.0 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	80,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM@10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5	Plantation (Total 2410 saplings will be planted)		
	C. Within Lease Area (In Barrier Zone & non mining area) @200rs./tree 1 st year -up to ~580 m periphery of Mine lease boundary & non mining area (1000 nos)	2,00,000	10000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1 st year- 100 nos. on evacuation route up to 380 m both side (@ Rs. 300/tree) 2 nd year- 50 nos. at health center is @Rs 200/plant 1 st year- 1260 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs. 50/tree)	30,000 10,000 63000	15,000
	C.Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6000	1,500
	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 142 Cubic meter soil needed for no. of 1150 trees	14200	
6.	Total Wire Fencing = (~580 m long) - {45% completed= 260 m} (65% Remaining to be installed = 320m @200 Rs./m	15000 96000	10,000
	Wind breaking wall : Total 100m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet) No. of sheets= 100/2=50	50,000	
7.	PUC certification of vehicles (1 Dumpers @ Rs 500 per dumper)	----	500

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

Labor Welfare			
8.	Drinking Water Facility at rest shelter (20 x 15 ft.) with solar light	10,000	10,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female)	10,000	5,000
10.	Occupational health check-up for 8 workers (@twice/year) @ 1000 x 2 x 8	Nil	16,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000	16,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12.	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	5,000
13.	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
Solid Waste Management			
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15.	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	40,000	
16.	Expenditure for pollution control equipment for M-sand crusher plant	2,50,000	50,000
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for mitigation of carbon.	20,000	-
	Total	10,70,200	1,97,000

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम नारिया बुजुर्ग के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बैंक खाते में उल्लेखित राशि भू प्रवेश मिलने के 6 माह के भीतर जमा की जावेगी	80,000/-
कुल	80,000/-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौध की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में एवं गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सफेदसिरिस, सीताफल, चिरोल आदि।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम उंचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम नारिया बुजुर्ग के शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, कचनार, नीम आदि	50
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1260
योग			2410
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंट एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानिय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जावे। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृत के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथपरियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. P2/455 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 17.740 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - CHAKROD, Tehsil - Pachore, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 26280 cum per annum

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र कुल 17.740 हेक्टेयर नेवाज नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जुलाई 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में एक डेम स्थित है। अतः वर्तमान में डेम की स्थिति है तथा सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा डेम के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ADS वर्तमान में डेम की स्थिति है तथा सेन्ड गाईड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा डेम के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

30. Case No.9346/ 2022 Smt. Mamta Dwivedi, Owner, Amrit Colony Gandhi Nagar Mahoba District Mahoba (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (1,50,000 cum per annum) (Khasra No. 133 (P)) Village- Saila, Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur (M.P.) .

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि सेक की 725वीं बैठक में दिनांक 20/07/2024 को निम्न जानकारी चाही गई थी ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल ईमेज के आधार पर समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है एवं यदि वृक्ष अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ते हैं तो खनन योग्य क्षेत्र वांछित मात्रा की उपलब्धता एवं Viability भी प्रतीत नहीं होती, अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक वांछित मात्रा की उपलब्धता एवं Viability का परीक्षण कर स्पष्ट करें कि वृक्ष अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ने उपलब्धता एवं Viability के अनुरूप पत्थर की कितनी मात्रा उपलब्ध होगी एवं इसी आधार पर पुर्नरीक्षित प्रोडक्शन प्लान, गैर खनन क्षेत्र को दर्शाते हुये सरफेस प्लान एवं वृक्ष अच्छादित क्षेत्र के संरक्षण की योजना प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात एवं दिनांक 05/06/2024 को परिवेश पोर्टल पर ADS रिप्लाई जमा करने के पश्चात प्रकरण को SEAC की 764वीं मीटिंग दिनांक 06/06/2024 में प्रस्तुतीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Mamta Dwivedi, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्रीकृष्णचन्द्र पांडा (ऑनलाइन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Smt. Mamta Dwivedi, Owner, Amrit Colony Gandhi Nagar Mahoba District Mahoba (U.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	133 (P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

(सरकारी/निजी)	
स्थल	Village- Saila, Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur(M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2321 दिनांक 23/07/21 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2128 दिनांक 25/11/22 के द्वारा पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत की सहमति है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-8 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने निम्न जानकारी प्रस्तुत की,

1. परियोजना प्रस्तावक ने ड्रोन वीडियो एवं जिओ टैग फोटो को प्रस्तुत किया कि खदान की सीमा में कोई पेड़ नहीं है। सर्वे में पाया गया कि वहां सिर्फ झाड़ियाँ हैं जिनमे चिल्ला एवं बबूल प्रमुख हैं।
2. परियोजना प्रस्तावक ने झाड़ियों को प्राथमिकता देते हुए लीज क्षेत्र में नॉन माइनिंग जोन दर्शाया जिसके चलते प्रस्तावक ने रिवाइज्ड सरफेस प्लान भी प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार 4.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से कुल 2.08 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जाएगा। बाकी 1.92 हेक्टेयर क्षेत्र नॉन माइनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाएगा। गैर खनन क्षेत्र पर नीम के बीज की वर् इसी sowing (2024), वर्षा ऋतु (जुलाई-अगस्त) में कराई जायेगी।
3. कुल 2.08 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन कार्य के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांग की गयी है। गणना के आधार पर उत्खनन की वांछित मात्रा का उपलब्ध होना पाया गया है। गणना के आधार पर गैर खनन क्षेत्र को छोड़ने के पश्चात खनिज की कुल उपलब्धता 3,74,400 घन मीटर आ रही है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पांच वर्षों में कुल 2,50,000 घनमीटर खनिज उत्खनन की मांग की गयी है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

4. इसके अतिरिक्त चार कोनों पर चार सेटिलिंग टैंकगार्डलैंड, ड्रेनचैन, लिंक फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं LED वितरण के लिए पर्याप्त बजट EMP में दिया गया है। EMP में 17,25,800 रूपए की कैपिटल राशि एवं 11,53,60,060 रूपए की रेकरिंग राशि का बजट दिया गया है।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt.	0	3,78,000
	Cost for 300 days for 12.6 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 500/- per tanker		
1(b)	Cost of Water tanker (3000 -liter capacity) =40,000/-	40,000	1,74,000
	Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 2.9 KLD @ 3 KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker		
1(c)	Discharge of waste water 300 days for 2.32 KLD @5KLD tanker capacity, Rupees 2000/per tanker	0	2,78,400
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 347 m, Width 4.0 m) @ 300Rs. /Meter.	1,01,100	10,410
3	Monitoring (Air, Water, Soil & Noise)	0	40,000
4	Grazing Land	50,000	15,000
5	Chain-link fencing (900*800)	720000	72000
6	Settling Tank and Garland Drain	2,50,000	25,000
Plantation Scheme			
7	Plantation in consultation with DFO & Gram Panchayat and conversion of Grazing land as far as possible.		
A	In Barrier Zone = 1000 No. of plant@30/-per plant.	30,000	13,350
B	In Approach road 500 No. of plants@100/-per plant	50,000	
C	3000 Nos. of saplings will be distributed to the nearby villager's @Rs 50 /tree.	1,50,000	0
D	Plantation in Police station Maharajpur 300 No. of plants@30/-per plant.	9,000	0
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet)	20,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female (2 for Each)	50,000	20,000
10	Occupational health Survey 66 labour @ 500 Rs. /labour Rs. /twice per year @500 x 2 x 66	0	66,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 66 labor @ 1200 Rs.	79,200	7,900
12	First Aid Kits, Number of kits 3	5,000	1000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

13	Fire Safety (2 nos.), @ 30,000	60,000	3,000
Solid Waste Management			
14	Bins 2 Nos.	1,500	4,000
15	Transport of Dry Waste	5,000	
16	Vehicle Maintenance +PUC Certification	0	25,000
17	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Carbon Sequestration			
18	Distribution of LED Bulb to villagers	1,00,000	0
Total EMP cost		17,25,800	11,36,060

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

CER		
Sn. No.	Particular	Amount
1	अधोसंरचनाविकासकेलिएशासकीय प्राइमरी विद्यालय सैला,केपालकशिक्षकसंघमेंअग्रलिखितधनराशिजमाकराईजाएगी	2,66,000
Total		2,66,000
उपर्युक्तलिखितधनराशिप्रस्तावितपरियोजनासेसम्बंधितगाँवकेपालकशिक्षकसंघमेंभू-प्रवेशके3 माहकेभीतरजमाकरइसकीसूचनामाइनिंगऑफिसरकोदीजावेगी।		

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार सिंचाई सतत्), 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखवा के साथ कम से कम (4800 वृक्षों का वृक्षारोपण -:

क्रमांक	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (में संख्या)
1	बैरियर जोन में	नीम, करंज, खमेर, जंगल जलेबी, चिरोल, इत्यादि	1000
2	परिवहन मार्ग में ऊँचाई न्यूनतम) 1.5 मीटर ट्री (साथ के गार्ड-	नीम, करंज, खमेर, जंगल जलेबी, चिरोल, इत्यादि	500
3	नजदीकी किसानों में वितरण	आम, नीबू, सीताफल, मुनगा, जामुन, अमरुद एवं अन्य फलदार पौधे	3000
4	पुलिस चौकी महाराजपुर में पौधरोपण	नीम, करंज, चिरोल,	300

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

		आम, नीबू, अमरुद इत्यादि	
		कुल	4800
<p>. 1 उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायेगा एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव किया जायेगा।</p> <p>. 2 गैर खनन क्षेत्र में नीम के बीज की , वर्ष इसी sowing वर्ष ऋतु में कराई जायेगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंट एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानिय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जावे। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृत के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No P-2/73/2024 Shri DEVENDRA LODHI, OWNER (PROJECT PROPONENT), Village Sillarpur, Post Gourjahamar, Tehsil Deori District Sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (25,000 cum per annum) (Khasra No. 26/1) Village - Ramanna, Tehsil - Deori, District Sagar (M.P.) (MIN/458343/2024) (Absent TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

32. Case No. P2/457 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.160 Hectare, Khasra No.-17, in Village - ABHAYPURA, Tehsil - Khilchipur, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 5400 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री भागिकांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति)

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भागिकांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 17 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 8.16 हे. (उपलब्ध क्षेत्र – 2.250 हे.)
स्थल	ग्राम – अभयपुरा, तहसील – खिलचीपुर, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अभयपुरा रेत खदान, दिनांक-25/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अभयपुरा रेत खदान के लिए स्टैण्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष है।	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 816 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 8.16 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 816 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 816 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अभयपुरा जिला राजगढ़के अनापत्ती पत्र दिनांक 22/08/2013 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	गढ़गंगा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-16 एवं पेज नं.-58 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 8.160 हेक्टेयर गढ्वांग नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई, खनन क्षेत्र में दक्षिण दिशा में एक स्टॉप डेम 1108 मीटर की दूरी पर है तथा उत्तर दिशा में 597 मीटर दूरी पर अपस्ट्रीम में ब्रिज होने से एक कि.मी. सेटबैक छोड़ने पर नॉन माईनिंग क्षेत्र 5.36 हे. एवं 2.8 हे. माईनेबल क्षेत्र उपलब्ध होता है अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.4 मीटर रखी गई है अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 5400 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -5400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
1(b)	Water requirement- 1.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	60,000	12,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(500X150= ₹75,000)	2,25,000
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= ₹ 1,00,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1000X50 = ₹ 50,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (3 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	3,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 5	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 5 Labors -5× 500 × 2)	-	5,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 5 workers -5 × 1500)	7,500	1,500
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	50,000	50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total		5,03,500/-	2,45,000/-

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.2 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
अभयपुरा गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	20,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

कुल	20,000
-----	--------

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 700 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
कुल			1700
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -</p>			

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशांसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशांसा की जाती है।

33. Case No. P2/554/24 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 0.809 ha. (4,417 cum per annum) (Khasra No. 01) Village- Kukda Kirar, Tehsil- Mohkhed & District- Chhindwara, (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई जिसमें खनन क्षेत्र 2 हिस्सों में है, इसके पूर्व दिशा में स्टॉप डेम है तथा दक्षिण दिशा में एक स्टॉप डेम है, रेत खदान के दोनों पार्ट पानी में डूबे हुये हैं तथा जिससे निर्धारित दूरी छोड़ने पर खनन क्षेत्र समाप्त हो रहा है। इस संबंध में डब्ल्यू.आर.डी. विभाग का पत्र क्रमांक 2271 दिनांक 29/05/2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कहीं जल भराव रहता है

ADS-परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर स्थल का खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

34. Case No. P2/465/24 OMKAR DUBEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District- Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 5.000 Hectare, Khasra No.- 01, 518, in Village - GORAKHPUR-ATRI, Tehsil - Barghat, District - Seoni (MP), Maximum Production - 15000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री ओंमकार प्रसाद दुबे (अधिकत व्यक्ति)

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

मेसर्स दि मध्य प्रदेश 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री ओमकार प्रसाद दुबे कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 01 व 518 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 05.00 हे.
स्थल	ग्राम – गोरखपुर–अतरी, तहसील –बरघाट, जिला – सिवनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नये कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गोरखपुर–अतरी रेत खदान, दिनांक–18/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गोरखपुर–अतरी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 15,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 400 दिनांक 21/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 04.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 09.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 400 दिनांक 21/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 400 दिनांक 21/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट / वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडिया स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई अन्य नदी/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/तालाब/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा गोरखपुर, जिला सिवनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 01/07/2014 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	हिरी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-38 के सरल क्रमांक-02 एवं पेज नं.-40 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 25/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 5.0 हेक्टेयर हिरी नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई, जिसमें स्टॉप डेम का पानी भरा होने से अप्रैल 2021 की प्रस्तुत गूगल ईमल अनुसार रेत उपलब्धता परिलक्षित हो रही है । खनन क्षेत्र कुल 5.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है । अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.5 मीटर रखी गई है । अतः 15000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -15000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1900X150= ₹2,85,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(250X500= ₹ 1,25,000)	4,82,500
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1450X50 = ₹ 72,500)	48,250
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (7 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	7,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 17		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 17 Labors -17× 500 × 2)		-	17,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 17workers -17 × 1500)		25,500	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		1,00,000	1,00,000
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation		
	16(B)	Distribution of LED Bulb		
Total			9,29,000/-	4,17,250/-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.9 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
---------------------------------------	--------------

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ग्राम गोरखपुर-अतरी में रोड लाईट के लिए ।	30,000
गोरखपुर-अतरी गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशालाके विकास के लिए।	60,000
कुल	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2150 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1450 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	250
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1450
कुल			3600
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p>			

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

35. Case No. P2/126/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.00 Hectare, Khasra No.- 151 in Village - Anjad , Tehsil - Anjad, District - Barwani (MP), Maximum Production - 2001 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो सोसाइ नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीराजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीराजीव सक्सेना, जिला कलेक्टर, (खनिज शाखा), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	151(सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00हे.
स्थल	ग्राम-अंजड़, तहसील-अंजड़, जिला- बडवानी, मध्य प्रदेश	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2,000घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2,000घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1059 दिनांक27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नीलाम रेत खदान अंजड-2 सर्वे नंबर 151 कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1059 दिनांक27/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1059 दिनांक27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहटस्थितनहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-अंजड,ग्रामसभा-अंजड,जिला- बडवानी के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 10/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-2 के सरल क्रमांक- 3 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक31/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. पेड़- पौधे लगाए जाये।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 5.0 हेक्टेयर सौंसर नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मई 2023 की गूगल

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ईमल प्रस्तुत की गई। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 0.6 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.1 मीटर रखी गई है, अतः 2001 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -2001 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

1. C E R मद् में निम्नानुसार राशि रु.0.28 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम अंजड़ के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 28000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायतबैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	28000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 05 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 200 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम अंजड़ आसपास के ग्रामीणों और किसानों को फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा।	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
कुल			200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	80000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	80000	8000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	40000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	5000	500
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	10000	1000
6	Toilets for Male and Female	10000	1000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	5000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	5000
9	VT Training for Labours	Nil	2000
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	-
E. Carbon Sequestration			
13	Distribution of LED bulbs to the Primary School in Anjad village	5000	
Total		131000	145000

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

36. Case No. P2/466/24 HARISHANKAR SHUKLA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.355 Hectare, Khasra No.- 689, in Village - GANDHIYA, Tehsil - Sohagpur, District - Shahdol (MP), Maximum Production - 132390 cum per annum

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री हरि इंकर भुक्ला (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री हरि इंकर भुक्ला कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 689 (गासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 7.355 हे.
स्थल	ग्राम - गंधिया, तहसील - जयसिंहनगर, जिला - भाहडोल (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नये कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गंधिया रेत खदान, दिनांक-18/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गंधिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,32,390 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,32,390 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भाहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 433 दिनांक 09/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 7.355 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भाहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 433 दिनांक 09/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भाहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 433 दिनांक 09/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद न्नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दादर के अंतर्गत ग्राम गंधिया, जिला भाहडोल के अनापत्ती पत्र दिनांक 22/02/2016 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	चूंदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-07 के सरल क्रमांक-14 एवं पेज नं.-63 के सरल क्रमांक-38 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 7.355 हेक्टेयर चूंदी नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2023 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई । अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । अतः 132390 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -132390घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	45,000
1(b)	Water requirement- 1.25 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	75,000	15,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2600X150= ₹3,90,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500= ₹ 1,50,000)	66,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2400X50 = ₹ 1,20,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (50 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	61,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water	60,000	6,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 71		
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For71 Labors -71× 500 × 2)	-	71,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 71workers -71 × 1500)	1,06,500	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	50,000	-
	Total	11,82,500/-	4,87,000/-

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.5 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि ₹ (₹.में)
गंधिया गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशालाके विकास के लिए।	50,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गंधिया के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	1,50,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2400 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400
कुल			5300
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37. Case No. P2/444/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.642 Hectare, Khasra No.-299, in Village - KELKACCH-अ, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 43704 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 299 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 3.642 हे.
स्थल	ग्राम - केलकच्छ-अ, तहसील -उदयपुरा, जिला - रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय,	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केलकच्छ-अ रेत खदान, दिनांक-21/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा केलकच्छ-अ रेत खदान के लिए स्टैण्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 43,704 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 43,704 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1222 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 34.642 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 38.284 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1222 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1222 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेชัน/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-96 के सरल क्रमांक-31 एवं पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-31 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 3.642 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई, अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। अतः 43704 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 43704 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1100X150 = ₹1,65,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= ₹ 1,00,000)	37,500
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2200X50 = ₹ 1,10,000)	37,500
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (18 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	18,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker.	60,000	9,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	(For 40workers -40 × 1500)		
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	8,76,000/-	4,45,500/-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.3 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम कैलकच्छ – अ में रोड लाईट के लिए ।	30,000
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कैलकच्छ – अ के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	1,30,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2200 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------------	---------------------	---------------------

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2200
कुल			3500
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

38. Case No. P2/426/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.642 Hectare, Khasra No.-299, in Village - KELKACHH-ब, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 43704 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 299 (गासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 3.642 हे.
स्थल	ग्राम - केलकच्छ-ब, तहसील - उदयपुरा, जिला - रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केलकच्छ-ब रेत खदान, दिनांक-21/12/2023	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केलकच्छ-ब रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 43,704 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 43,704 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 34.642 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 38.284 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-96 के सरल क्रमांक-32 एवं पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 3.642 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई । अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। अतः 43704 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -43704 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		41,000
	Plantation at the boundary of the river. @	(1100X150)	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	Rs. 150/plant.	= ₹1,65,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹ 1,00,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2200X50 = ₹ 1,10,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (18 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	18,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40		40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows:		15,000	5,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total		9,11,000/-	4,49,000/-

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.3 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि ₹ (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,30,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम कैलकच्छ – बके खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,30,000
कुल	1,30,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2900 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल,	1100

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

		आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2900
कुल			4200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

39. Case No. P2/448/24 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 18.770 Hectare,

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

Khasra No.- 01, 158, in Village - GANESHPUR, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 45048 cum per annum,

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री भागिकांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भागिकांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 1, 158 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 18.77 हे.
स्थल	ग्राम – गणेशपुरा, तहसील – राजगढ़, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गणेशपुरा रेत खदान, दिनांक-14/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गणेशपुरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 45,048 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 45,048 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11109 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 18.77 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11109 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11109 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन शील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कचनारिया के अंतर्गत ग्राम गण पोपुरा जिला राजगढ़के अनापत्ती पत्र दिनांक 07/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नेवाज नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-05 एवं पेज नं.-57 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

ADS - परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र कुल 18.770 हेक्टेयर नेवाज नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 640 मीटर पर स्टॉप डेम तथा खनन क्षेत्र के बीचोबीच डेम है । अतःवर्तमान में डेम की क्या स्थिति है तथा सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा डेम के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

40. Case No. P2/129/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.00 Hectare, Khasra No.- 151 in Village - Anjad-2 , Tehsil - Anjad, District - Barwani (MP), Maximum Production - 2000 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो सोसाइ नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीराजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीराजीव सक्सेना, जिला कलेक्टर, (खनिज शाखा), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	151(सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00हे.
स्थल	ग्राम-अंजड़,तहसील-अंजड़,जिला- बडवानी, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2,000घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2,000घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1061 दिनांक27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नीलाम रेत खदान अंजड़-1 एवं अंजड़-3 सर्वे नंबर 151 कुल रकबा 10.00 हेक्टेयर हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1061 दिनांक27/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1061 दिनांक27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहटस्थितनहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-अंजड़,ग्रामसभा-अंजड़,जिला- बडवानी के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 10/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-2 के सरल क्रमांक- 4 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक31/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	2. इस योजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस योजना के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और मकान निर्माण कार्य में साधन आसानी से प्राप्त हो रहा है, और निर्माण कार्य में कोई परेशानी नहीं आ रही है।
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 5.0 हेक्टेयर सौंसर नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मई 2023 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई जिसमें उत्तर दिशा में एक कि.मी. दूरी पर ब्रिज है। खनन कार्य हेतु डी.एस. आर. में गहराई 0.6 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.1 मीटर रखी गई है, अतः 2000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये ।

3. C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.26 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम अंजड़ के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 26,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	26,000.00

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 05 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 200 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम अंजड़ आसपास के ग्रामीणों और किसानों को फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा।	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
कुल			200

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	70200
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	80000	8000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	5000	500
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	45000	2000
6	Toilets for Male and Female	10000	1000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	5000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	5000
9	VT Training for Labours	Nil	2000
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	3000	-
E. Carbon Sequestration			
13	Distribution of LED bulbs to the Primary School in Anjad village	5000	
Total		168000	180700

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

41. Case No. P2/422/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.642 Hectare, Khasra No.-385, in Village - KELKACCH स, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 43704 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 385 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.642 हे.
स्थल	ग्राम – केलकच्छ-स, तहसील – उदयपुरा, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केलकच्छ-स रेत खदान, दिनांक-21/12/2023	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केलकच्छ-स रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 43,704 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 43,704 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1224 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 26.890 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 30.532 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1224 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1224 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-96 के सरल क्रमांक-33 एवं पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-33 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 3.642 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई । अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। अतः 43704 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 43704 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्वूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्वूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1100X150 = ₹1,65,000)	46,000
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500= ₹ 1,50,000)	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2900X50 = ₹ 1,45,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (18 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	18,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40		40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total			9,61,000/-	4,54,000/-

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.3 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से 1,30,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कैलकच्छ – इसके भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,30,000
कुल	1,30,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2900 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य	2900

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	स्थानीय प्रजातिया	
	कुल	4300
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।	
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।	
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

42. Case No. P2/123/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.77 Hectare, Khasra No.- 38 in Village - Mehatgaon, Tehsil - Sendhwa, District - Barwani (MP), Maximum Production - 2500 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो डेब नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीराजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	श्रीराजीव सक्सेना, जिला कलेक्टर, (खनिज शाखा), मध्य प्रदेश राज्य खनन

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	38(सरकारी-गैर वन भूमि)	7.770 हे.
स्थल	ग्राम-महतगांव, तहसील-सैंधवा, जिला- बडवानी, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2500 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2500 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1081 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1081 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1081 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट एवं हाईस्कूल स्थित हैं।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-7 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 30/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 3. गाँव के लोगों को ही रेत खनन करने की अनुमति दी जावे। 4. महतगांव रेत खदान से गाँव के लोग रेत भरने नहीं देते तथा गाँव के	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	<p>लोग स्वयं रेत का उत्खनन करते हैं।</p> <p>5. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हेतु प्रस्तावित मेहतगांव - 7.77 हे उत्खनन क्षमता 2.500 घनमीटर, खसरा 38, में रेत खनन में पंचायत में वृक्षारोपण कार्य करने से तथा रोजगार मिलेगा तो गाँव पंचायत द्वारा रेत खनन हेतु स्वीकृति प्रदान किये।</p> <p>6. रेत खनन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलाना चाहिये, ग्राम में रेत मिलना चाहिये व ग्राम मेहतगांव में कोई समस्या नहीं आनी चाहिये।</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 7.77 हेक्टेयर देव नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई जिसमें उत्तर-पश्चिम दिशा में 265 मी. दूरी पर एक स्टॉप डेम है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में भी डेम है अतः 500-500 मीटर छोड़ने पर खनन हेतु 3.71 हे. माइनेबल बचत है। डी.एस.आर. में गहराई 0.6 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.1 मीटर रखी गई है, अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र 4.06 हे. एवं 3.71 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है। उत्खनन हेतु प्रस्तावित मात्रा कम है, अतः 2226 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 2226 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
 7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।
5. C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.36 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये:- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम महतगांवके तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने मेंसहयोग हेतु 36,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	36000.00

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई,05 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 250 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपणहेतुनियतस्थल	पौधोंकीप्रजातियाँ	मात्रा (संख्यामें)
2	ग्राम महतगांव आसपास के ग्रामीणों और किसानों को फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा।	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	250

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

कुल	250
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन\ खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>	

EMPBudget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	47350
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	50000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	6250	650
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	10000	1000
6	Toilets for Male and Female	10000	1000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	3500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	3500
9	VT Training for Labours	Nil	1400
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2No's	1000	-
E. Carbon Sequestration			
13	Distribution of LED bulbs to the Primary School in Mehatgaon village	5000	
Total		152250	121400

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

43. Case No. P2/393/2024 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 2, in Village - JOORIKALAN, Tehsil - Patan, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 5000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 02 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 06.00 हे.
स्थल	ग्राम –जूरीकलां, तहसील –पाटन, जिला –जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जूरीकला रेत खदान, दिनांक- 24/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जूरीकला रेत खदान के लिए स्टैण्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 5,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2466 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2466 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2466 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं। मानवबसाहट लगभग 400 मीटर की दूरी पर हैं।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जूरीकला जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	हिरन नदी ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक- 33 एवं पेज नं.- 62 के सरल क्रमांक- 33 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 3.642 हेक्टेयर हिरन नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई जिसके अधिकांश भाग में जल भराव है । परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे

ADS

44. Case No. P2/130/2024 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District- Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.215 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - Bhulgaon, Tehsil - Rajpur, District - Barwani (MP), Maximum Production - 6000 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो डेब नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीराजीव सक्सेना एवं

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीराजीव सक्सेना, जिला कलेक्टर, (खनिज शाखा), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1(सरकारी-गैर वन भूमि)	8.215 हे.
स्थल	ग्राम-भूलगांव, तहसील-राजपुर, जिला- बडवानी, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-6,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 6,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1095 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1095 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1095 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-सांगवीनीम, ग्रामसभा-भूलगांव, जिला- बडवानी के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 29/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

(सरकारी/निजी)	(ग्रासकीय भूमी नदी)	02.00हे.
स्थल	ग्राम – मंडवा, तहसील –पाटन, जिला –जबलपुर,म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मंडवा रेत खदान, दिनांक- 24/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मंडवा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 4,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2464 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2464 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2464 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट/ वैश्विकसंस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरदुआ (मड़वा) जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	हिरन नदी।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19 के सरल क्रमांक- 34 एवं पेज नं.- 62 के सरल क्रमांक- 34 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 2.0 हेक्टेयर हिरन नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। जिसमें जल भराव है। परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे। ADS

46.Case No. P2/459/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 18.160 Hectare,

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

**Khasra No.- 403, in Village - BHAGORI, Tehsil - Jirapur, District - Rajgarh (MP),
Maximum Production - 43584 cum per annum**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री भागिकांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भागिकांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 403 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 18.16 हे.
स्थल	ग्राम – भगोरी, तहसील – जीरापुर, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भगोरी रेत खदान, दिनांक-21/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भगोरी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारे रेत - 43,584 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 43,584 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 790 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 18.16 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 790 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 790 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भगोरी जिला राजगढ़के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2013 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	कालीसिंध नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-16 एवं पेज नं.-58 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खननक्षेत्र कुल 18.160 हेक्टेयर कालीसिंध नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र के पूर्व-पश्चिम दिशा में दोनों ओर ब्रिज एवं स्टाप डेम है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थायीसंरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थायीसंरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। **ADS**

47. Case No. P2/389/2024 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 229, in Village - PONDIKALAN, Tehsil - Patan, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 4000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 299 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 04.00हे.
स्थल	ग्राम – पौंडीकलां, तहसील –पाटन, जिला –जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पौंडीकला रेत खदान, दिनांक- 24/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पौंडीकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 4,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गैल क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/ दूरद न/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/ तालाब/ नहर/ बांध/ स्टॉपडैम/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ जलीय निकाय/ नाला नहीं हैं। मानवबसाहट लगभग 460 मीटर की दूरी पर हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पौडीकला जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 18/01/2024 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 25 एवं पेज नं.- 62 के सरल क्रमांक- 25 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 4.0 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.5 मीटर रखी गई है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.24 हे. एवं 2.76 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है अतः 4000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट -4000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें । खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।**
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1(b)	Water requirement- 3.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (450X150 = ₹67,500)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (110X500 = ₹ 55,000)	1,54,500	15,450
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (640X50 = ₹ 32,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (2 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	2,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 10	20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10Labors - 10× 500 × 2)	-	10,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker.	39,000	6,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	(For 10workers - 10 × 1500)			
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	50,000	50,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	10,000	-
	Total		6,14,500/-	3,70,450 /-

13. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.8 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम पोडीकला में रोड लाईट के लिए ।	40,000
पोडीकलागाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशालाके विकास के लिए।	40,000
कुल	80,000

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 560 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 640 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा,	450

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	से 1 से 6 पंक्तियों में)	लेमन घास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	110
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	640
कुल			1200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

48. Case No. P2/453/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 9.730 Hectare, Khasra No.- 369, 430, 435, in Village - Pahadgarh, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 23352 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री भास्करांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भास्करांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 369,430,435 (राजकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 9.73 हे.
स्थल	ग्राम - पहाड़गढ़, तहसील - ब्यावरा, जिला - राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पहाड़गढ़ रेत खदान, दिनांक-23/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पहाड़गढ़ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 23,352 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 23,352 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 9.73 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पहाडगढ़ जिला राजगढ़के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	पार्वती नदी । खदान क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21,22 के सरल क्रमांक-25 एवं पेज नं.-59 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30 / 05 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 9.730 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई । खनन क्षेत्र दो हिस्सों में है, पूर्व-उत्तर दिशा में प्रस्तुत ईमेज अनुसार 6.61 हेक्टेयर भाग पूर्णतया पानी में डूबा हुआ है तथा दक्षिण दिशा में एक आयरलैण्ड स्थित है जो विभिन्न धाराओं से जुड़ा हुआ है । अतः माईनेबल क्षेत्र 3.12 हे. बचता है । डीएसआर अनुसार गहराई 0.4 है । अतः 12000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 12000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	82,800
1(b)	Water requirement- 2.30 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (460m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		6,95,000
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3000X150 = ₹4,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500 = ₹ 50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area	(3900X50	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	and distribution to villagers @ Rs.50/plant	= ₹ 1,95,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (11 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	11,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 15		10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15× 500 × 2)		-	15,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers -15 × 1500)		22,500	4500
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	

**764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024**

16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total			10,78,500/-	4,09,800/-

15. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर. मद से पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम पहाड़गढ़ के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु राशि भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	1,00,000

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3900 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3900
कुल			7000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

49. Case No. P2/458/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 24.000 Hectare, Khasra No.- 617, 01, in Village - BILAPURA PANWADI, Tehsil - Sarangpur, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 9600 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री भास्करांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भास्करांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 617 व 01 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 24.00 हे.
स्थल	ग्राम – बिलापुरा पनवाड़ी, तहसील –पचौर, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बिलापुरा पनवाड़ी रेत खदान, दिनांक-23/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा बिलापुरा पनवाड़ी रेत खदान के लिए स्टैन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 9,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 9,600 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 810 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 24.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 810 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 810 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गैल क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /नगर परिशद की अनापत्ति	नगर परिशद पचोर जिला राजगढ़के अनापत्ती पत्र दिनांक 19/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नेवाज नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19-20 के सरल क्रमांक-22 एवं पेज नं.-59 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 24.0 हेक्टेयर नेवाज नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई, खनन क्षेत्र से उत्तर दिशा में एक ब्रिज व रेलवे लाइन 283 मी. की दूरी पर स्थित है तथा दक्षिण मध्य दिशा में 3 ब्रिज है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

अतः सेंड गार्ड लाईन के अनुसार सेटबैक छोड़ने पर उत्खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः समिति पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा नहीं करती है।

प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है।

50. Case No. P2/450/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.610 Hectare, Khasra No.- 21, 90, 92, in Village - Jaitpura, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 8400 cum per annum

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 6.610 हेक्टेयर नेवाज नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई, खनन क्षेत्र से पूर्व दिशा में मोहनपुरा डेम 1370 मीटर पर हैं व खनन क्षेत्र के मध्य में एक डेम/स्टॉप डेम है। अतः सेंड गार्ड लाईन के अनुसार सेटबैक छोड़ने पर उत्खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः समिति पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा नहीं करती है।

प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है।

51. Case No. P2/428/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.428 Hectare, Khasra No.- 510, in Village - Ketudhan-अ, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 29136 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---------------------------------------------

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश ए राज्ज खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 510 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 2.428 हे.
स्थल	ग्राम – केतुधान, तहसील –उदयपुरा, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश ए शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केतुधान-अ रेत खदान, दिनांक-25/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केतुधान-अ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 29,136 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 29,136 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1215 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.578 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 10.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1215 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1215 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 25/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-20 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 2.428 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। जिसमें सम्पूर्ण खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री आर. के. केथल द्वारा बताया गया कि अप्रैल-मई माह में खनन क्षेत्र सूख जाता है जिससे रेत की मात्रा उपलब्ध होती है एवं विगत दो वर्षों में खनन कार्य नहीं हुआ है । रेत की उपलब्धता के

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्र.01 दिनांक 06/06/2024 दिया गया है। खनन क्षेत्र कुल 2.428 हेक्टेयर प्रस्तावित है। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माइनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। अतः 21000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 21000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X150= ₹1,50,000)	2,60,000
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500= ₹50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(6100X50 = ₹ 3,05,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (12 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	12,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima	--	--

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	8,71,000/-	5,26,000/-

17. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.04 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम केतुधान – अ के रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते में 1,04,000 रुपये की राशि भू प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा करा दी जावेगी	1,04,000
कुल	1,04,000

18. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1100 वृक्षों का वितरण :-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1100
कुल			2000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

52. Case No. P2/431/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.428 Hectare, Khasra No.-510, in Village - KETUDHAN-ब, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 29136 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 510 (तासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 2.428 हे.
स्थल	ग्राम – केतुधान, तहसील – उदयपुरा, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत मार्डनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केतुधान-ब रेत खदान, दिनांक-25/11/2023	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केतुधान-ब रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 29,136 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 29,136 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1246 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.578 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 10.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1246 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1246 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन मील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-21 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-21 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 2.428 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल इमल प्रस्तुत की गई । जिसमें सम्पूर्ण खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री आर. के. केथल द्वारा बताया गया कि अप्रैल-मई माह में खनन क्षेत्र सूख जाता है जिससे रेत की मात्रा उपलब्ध होती है एवं विगत दो वर्षों में खनन कार्य नहीं हुआ है । रेत की उपलब्धता के संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्र.01 दिनांक 06/06/2024 दिया गया है । खनन क्षेत्र कुल 2.428 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । अतः 29136 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -29136 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

- दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
 6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
 7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
 8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(600X150= ₹90,000)	24,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹1,00,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1000X50 = ₹ 50,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (12 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--		12,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000		4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000		3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--		--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--		40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000		2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000		9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000		5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000		2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000		5,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total			7,91,000/-	4,76,000/-

19. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.04 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से 1,04,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम केतुधान – बके खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,04,000
कुल	1,04,000

20. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1000 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार	200

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

		वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
कुल			1800
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

53. Case No. P2/440/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.428 Hectare, Khasra No.-510, in Village - KETUDHAN-स, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 29136 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 510 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 2.428 हे.
स्थल	ग्राम – केतुधान-स, तहसील –उदयपुरा, जिला –रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केतुधान-स रेत खदान, दिनांक-15/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केतुधान-स रेत खदान के लिए स्टैन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 29,136 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 29,136 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 8.356 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 10.784 हे.	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन शील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे शन/दूरद शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-22 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	-----------------------------------------------------

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 2.428 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। अतः 29136 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 29136 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्वूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्वूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
1(b)	Water requirement- 1.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (700m in length × 5m in width)	60,000	12,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(800X150= ₹1,20,000)	37,404
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500= ₹50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1000X50 = ₹ 50,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (12 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	12,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers	40,000	4,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	deployed are 40		
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,50,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000
Total		6,81,000/-	4,17,404/-

21. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.02 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से 1,02,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम केतुधान-स के खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,02,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

कुल	1,02,000
-----	----------

22. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन घास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
कुल			2000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

54. Case No. P2/456/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.800 Hectare, Khasra No.- 01, 351/355, in Village - ATAIKHEDA DHATURI, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 9600 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भास्करांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भास्करांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 351/355 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.80 हे.
स्थल	ग्राम – अताईखेड़ा धतुरी, तहसील – राजगढ़, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अताईखेड़ा धतुरी रेत खदान, दिनांक-18/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अताईखेड़ा धतुरी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 9,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 9,600 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1107 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 10.80 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1107 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1107 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	कोई जलीय निकाय / नदी / तालाब / नहर / बांध / स्टॉपडैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पदमपुरा के अंतर्गत ग्राम अताईखेड़ा धतुरी जिला राजगढ़के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नेवाज नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21,22 के सरल क्रमांक-25 एवं पेज नं.-57 के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 10.800 हेक्टेयर नेवाज नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई जिसमें उत्तर दिशा में 78 मीटर पर ब्रिज एवं उत्तर-दक्षिण में स्टॉप डेम है नियत दूरी छोड़ने पर पूरी खदान समाप्त हो रही है। अतः वर्तमान में डेम की क्या स्थिति है तथा सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा डेम के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे। **ADS**

55. Case No. P2/427/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.428 Hectare, Khasra No.-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

510, in Village - Ketudhan-द, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 29136 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 510 (11सकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 2.428 हे.
स्थल	ग्राम – केतुधान, तहसील –उदयपुरा, जिला – रायसेन (म. प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केतुधान-द रेत खदान, दिनांक-15/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केतुधान-द रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 29,136 घनमीटर/वर्ष हेतु	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 29,136 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 11.078 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 13.51 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-23 एवं पेज

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	नं.-66 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र कुल 2.428 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। अतः 29136 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -29136 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,20,000	24,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		22,500/-
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(800X150 = ₹1,20,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500 = ₹50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1100X50 = ₹ 55,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck	--	12,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	(12 Trucks × 500 × 2 times in a year)			
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
	iv) Noise Pollution			
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @ 15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @ 500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @ 20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows:			
	One solar light, (@ Rs. 8000/light)			
	2 Web Camera, (per camera. @ 3500 rupees)		15,000	5,000
	Display Board at mine entrance.			
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		6,76,000/-	3,93,500/-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

- 3 सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर. मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम केंद्र के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	1,00,000
कुल	1,00,000

23. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1100 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1100
कुल			2000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

56. Case No. P2/451/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 21,000 Hectare, Khasra No.- 31, in Village - Sekhanpur, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 50400 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भास्करांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भास्करांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स,

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 31 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 21.00 हे.
स्थल	ग्राम – भोखनपुर, तहसील – ब्यावरा, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भोखनपुर रेत खदान, दिनांक-22/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भोखनपुर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 50,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 50,400 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन शील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टे शन/दूरद शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पाड़ली गुसाईं के अंतर्गत ग्राम भोखनपुर जिला राजगढके अनापत्ती पत्र दिनांक 01/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	पार्वती नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/29/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-08 के सरल क्रमांक-03 एवं पेज नं.-56 के सरल क्रमांक-03 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 21.0 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2021 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। नदी के अविरल प्रवाह को बनाये रखने के लिए सेटबैक छोड़ा गए। नॉन माईनिंग क्षेत्र 8.0 हे. एवं 13.0 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.4 मीटर रखी गई है। अतः अतः 50400 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -50400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायेगा

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	20000
1(b)	Water requirement- 15.068 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (400m in length × 5m in width)	1,20,000	24,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(5000X150 = ₹7,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(120X500= ₹ 60,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(10000X50 = ₹ 5,00,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (24 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	24,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/26 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 29	20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 29 Labors -29× 500 × 2)	-	29,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1	20,000	2,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	& Rs. 2000/year for Maintenance.		
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 29 workers -29 × 1500)	43,500	8,700
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	17,44,500/-	6,31,700/-

24. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.64 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से 1,64,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम भोखनपुर के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,64,000
कुल	1,64,000

25. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5120 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10000 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------------	---------------------	---------------------

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	5000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	120
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	10000
कुल			15120
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

57. Case No. P2/437/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 0.809 Hectare, Khasra No.-546, in Village - NAYAKHEDA, Tehsil - Deori, District - Raisen (MP), Maximum Production - 9708 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 546 (गासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल - 0.809 हे.
स्थल	ग्राम - नयाखेडा, तहसील - देवरी, जिला - रायसेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नयाखेडा रेत खदान, दिनांक-25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नयाखेडा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 9,708 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 9,708 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.00 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 7.809 हे. है। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ तम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नयाखेडा जिला रायसेन के अनापत्ती प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-54 एवं पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-54 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 31/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 0.809 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। एकल प्रमाण पत्र अनुसार खसरा नम्बर-546 की पुष्टि की गई । खनन क्षेत्र कुल 0.809 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 2.0 मीटर रखी गई है, अतः 9708 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -9708 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

- प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
 7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
 8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	50,000	5,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(800X150= ₹1,20,000)	15,250
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(50X500= ₹25,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(150X50 = ₹ 75,000)	
		1,52,500	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (4 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	8,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	50,000	50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	Total	6,56,000/-	2,47,250/-
--	--------------	-------------------	-------------------

26. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर. मद से 30,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम नयाखेडा के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	30,000
कुल	30,000

27. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 650 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन घास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	50
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा	650

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
कुल		1000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>		

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

58. Case No. P2/419/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 24.000 Hectare, Khasra No.-337, 284, in Village - PATAI, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 288000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 337,284 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 24.00 हे.
स्थल	ग्राम – पतई, तहसील–देवरी, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पतई रेत खदान, दिनांक-21/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पतई रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,88,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,88,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1240 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं इस प्रकार कुल रकबा 24.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1240 दिनांक	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1240 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे इन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30/01/2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-101 के सरल क्रमांक-52 एवं पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-52 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 31/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 24.0 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। एकल प्रमाण पत्र अनुसार खसरा नम्बर-546 की पुष्टि की गई। खनन क्षेत्र कुल 24.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है, अतः 288000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -288000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,80,000	36,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		23,30,000
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X150 = ₹1,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500 = ₹50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(6100X50 = ₹ 3,05,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (120 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	1,20,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers	40,000	8,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	deployed are 40		
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	12,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	50,000
Total		30,62,000/-	8,15,896/-

28. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 6.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम पतई के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी	2,00,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

जावेगी ।	
पतई गाँव में सी सी रोड निर्माण कार्य	4,00,000
कुल	6,00,000

29. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 20600 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	8000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	20600
कुल			28800
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं</p>			

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

59. Case No. P2/438/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.290 Hectare, Khasra No.-546, in Village - NAYAKHEDA-1, Tehsil - Deori, District - Raisen (MP), Maximum Production - 75480 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 510 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 2.428 हे.
स्थल	ग्राम - नयाखेड़ा-1, तहसील - देवरी, जिला - रायसेन (म. प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नयाखेड़ा-1रेत खदान, दिनांक-19/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नयाखेड़ा-1रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 75,480 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 75,480 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 1.519 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 7.809 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	हैं ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-55 एवं पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-55 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 31/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 6.290 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 24.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन कार्य हेतु डी.एस. आर. में गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 2.0 मीटर रखी गई है, अतः 75480 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 75480 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारी के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैनुअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc	50,000	5,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	(500m in length × 5m in width)		
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2200X150 = ₹3,30,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(350X500 = ₹1,75,000)	3,30,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5050X50 = ₹ 75,00)	51,250
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (4 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	4,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)		30,000
	Pollution Monitoring		30,000
	i) Air pollution		20,000
	ii) Water pollution		20,000
	iii) Soil Pollution		20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker.	60,000	12,000

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

	(For 40workers -40 × 1500)		
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000	2,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	15,26000/-	4,33,250/-

30. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.5 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से 1,50,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम नयाखेड़ाके भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,50,000
कुल	1,50,000

31. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2550 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5050 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	2200

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 जून 2024

		4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	350
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	5050
कुल			7600
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
अध्यक्ष

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 जून 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

- exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 जून 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 जून 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing should be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 जून 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 - 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 - 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

764वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 जून 2024

	तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट- 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम ठतममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

फॉटो (SEAL)

Additional TOR points for Minor Minerals - In addition to Standard TOR

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared prescribing mitigative measures for air, water & noise pollution.

2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form

A- In government land

1. In barrier Zone
2. In non- mining area (set back)
3. Along evacuation route
4. And in other places
5. Distribution to nearest farmers species of fruit, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal Plants.
6. Reclaimed area by backfilling, benches, dumps etc.

B. In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

B- In Private land – fruit bearing plant (standard practice) or as P.P wants

C- Seed sowing in garland drain periphery of mine, bunds, canter trenches etc with local seeds.

3. **Set Back**– Show Ultimate Pit limit (Setback), Environment development plan, Geological/Development plan & Conceptual plan production plan with legend due to any changes in area as per the case sensitivity and according to present rules (NGT/CPCB guidelines).

1.	District Road	6	Railway line	11	Habitation,	16	ESZ area	21	water conservation structure
2.	Village Road	7	Wind mills	12	Temples	17	Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km	22	Trees inside the mine
3.	Public Road	8	Agriculture land	13	Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils Park and W.L. Niche/Archaeological Site if any,	18	Catchment area	23	Electric high tension line
4.	NH/SH	9	Natural drainage	14	Forest boundary /Revenue Forests	19	Stocked root (Area having)	24	Bridges /Culverts
5.	District Road	10	Nala/river/ Canal/ Tank/ Lake	15	1. Wildlife area /NP/WLS	20	Water conservation structures, stop dams	25	Tower , Shamshan
								26	Rare Endangered & Threatened Species (RET)

4. For blasting or for non blasting: if mine area lease within-

1. 250 m. of forest land or permitted area from Forest deptt.
2. ESZ areas, protected areas, Buffer area (Distance of site from the boundary)
3. If private land : Own/Agreement
4. Present depth of mine
5. Depth as approved in mining plan

6. In case of more depth then as given in mining plan sanction letter from DGMS Bhopal (Competent authority).
7. Proposed number of benches
8. Bench height and width
9. Conceptual depth of mine.
10. Water level
 - I. OWN
 - II. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 - III. Cost benefit ratio
 - IV. If grass land : grass land development & maintenance
 - V. Catchment of the major river & its protection plan.

5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.

- Wildlife conservation plan in case of scheduled specified species as per MoEF guideline found
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- CER activities: Certificate and photograph
- Dump areas
- Proposed Production as per mining plan, EC, CTO & Production Achieved certified by M.O.

(A) If – Crusher & M-sand plant is in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Layout plan showing proposed crusher / M-sand
2. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
3. Barrier area zone
4. Setback for sensitiveness
5. Garlanding drain
6. Settling tank with sizes according to water surface plan
7. Crusher area /M.sand plant / Slurry
8. Dumping area year wise
9. Green area /Barrier area & in non-mining area
10. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) If crusher is outside of mines

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. SITE VISIT REQUIREMENTS :

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources
5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6. Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)
6. Sacred groves
7. Archaeological sites

9. **CER Activities** (as per project feasibility report)

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. **EMP as proposed in tabular form**

11. **Mining Activitiy:**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Photograph of plantation, fencing, garlanding drain , settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on Layout plann to be enclosed
- slurry management

- Water requirement : Quantity & source

D. Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values

1. Stone - 10,000 m³/yr with crusher, 15000 m³ /yr without crusher
2. murum- 20,000 m³/yr
3. Clay – 30,000 m³/yr with kiln & chimney

F. Soil profile (Not less than 3 pits)– with Geotag Photos required as below

To lease area /nearby areas

Miscellaneous

A. Provision of fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr than provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

B. Waste Management elaborating usage & disposal

- In case of any change in method of mining, or change in Environment Plan, Geological Plan, Development plan, Production Plan, Conceptual Plan due to any sensitive features Approval from concern competent Authority.
- It there is difference in geo-coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR then DGPS report to be submitted approved by Mining Officer of concerned district.

सेतु खनन हेतु जारी स्टैंडर्ड टॉर

सेतु खनन हेतु जारी स्टैंडर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाकर प्रकरण विशेष से संबंधित ई.आई.ए की प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

संदर्भित पत्र जिन प्रकरणों के संबंध में स्टैंडर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार 11 अन्य टॉर बिन्दु के पालन करने के साथ ही Standard TOR जारी करने की अनुसंशा की जाती है :-

1. सेण्ड माइनिंग गाइड लाइन 2016 एवं 2020 के प्रावधानों का समावेश EIA में किया जायेगा।
2. मानवीय एनजीटी/हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का EIA में समावेश किया जाएगा।
3. क्षेत्र विशेष में जलीय जीव जन्तुओं की संवेदनशीलता के विषय में मतस्य विभाग का अभिमत लिया जावेगा एवं अभिमत के आधार पर इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जावेगा।
4. नदी क्षेत्र से 7.5 मीटर लगे वनस्पति/वृक्ष/झाड़ी को सुरक्षित रखा जावेगा। खनन कार्य से उन्हें होने वाली क्षति प्रभावी ढंग से रोकी जावेगी एवं प्रकरण विशेष को ध्यान में लाते हुए EIA में प्रावधान किये जावेंगे।
5. खनन गतिविधियों के कारण जो Carbon footprint develop होगा, उनके प्रभाव दूर किये जाने के आधार पर प्रस्ताव EIA में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
6. नदी से सेण्ड गाईडलाइन के अनुसार 1 कि.मी. में यदि कोई बड़ा ब्रिज या अन्य संवेदनशील संरचना पायी जाती है तो इस हेतु सेतु निगम/PWD/RES से अनुमोदन प्राप्त कर EIA में प्रस्तुत किया जावेगा।
7. वृक्षारोपण/पौधा वितरण का कार्य सितम्बर/अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।

- Ann.
8. सामाजिक/आर्थिक विकास से संबंधित कार्य 1.2 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।
 9. खनिज का निकासी मार्ग EIA में दर्शित किया जाएगा ।
 10. गाइडलाइन्स अनुसार Sand replenishment Study की जाएगी ।
 11. EIA में DSR में दी गयी समस्त जानकारियों का समावेश किया जाएगा ।

Appraisal for DEIAA to SEIAA & B-1 Cases (As per Form - 1):

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, In tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे हों तो उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवजू में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलन एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लांट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉर्मिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जाये।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि द्विया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

Standard ToR for Building Construction Project

For Duplex and Town Plantation

1. Total area
2. Total Green Area
3. Plantation Scheme
4. STP, BOD 3 mg/Liter से अधिक नहीं
5. STP type and capacity.
6. Estimated Power requirement.
7. Power consumption 30% of the total consumption in electricity.
8. Public utility facilities for maid/drivers.
9. Number of Parking & EV charging points
10. Population - No.
11. Solar lights
12. Tree inventory
13. Estimate Carbon footprint.
14. Carbon sequestration arrangement & mitigation plan.
15. Provision of Roof solar panel of each house.
16. Feeder Roads length & width.
17. Road side plantation with in the permission
18. Fencing/Boundary wall & plantation on periphery
19. Tree inventory if cutting no of tree to be
20. If no of trees more then Ecological loss study avian fauna study.
21. Number and capacity of D.G. Set.
22. In campus - if any commercial shops an there 1. Parking 2. Utility plans
23. If Any sensitive feature _____
24. Case to be appraised through recent Google image & back images.
25. Any Violation.

1. Multi Stored & Commercial Building

- I. Total Area
- II. Total height of the buildings
- III. Total plinth area
- IV. Green space, plantation scheme
- V. Distance between two tower
- VI. Number Floors
- VII. Sun path studies
- VIII. Total flats
- IX. Utilities for every floor
- X. Parking - Floor _____

Green flow – Total calculation no of vehicles

- XI. Number of EV Charging points
- XII. No of families
- XIII. Floating person
- XIV. Feeder roads length width
- XV. Fire protection total cost
- XVI. Rooting Rooms Toilets for maids etc.
- XVII. Present Google image
- XVIII. Back image also
- XIX. STP - BOD upto 3.0 mg/L
- XX. STP type and capacity.
- XXI. Rain harvesting system
- XXII. Solar panel 30% of total consumption by solar street lights
- XXIII. Estimated power requirement.
- XXIV. Estimated Carbon footprint.
- XXV. Carbon sequestration & mitigation
- XXVI. Any other sensitive feature.
- XXVII. Lawn, Green, Garden/Play ground etc.
- XXVIII. Earth Quake Zone.
- XXIX. Earth quake resistance provision.

Regarding shops

- I. Floating population
 - II. Utility facilities
 - III. Parking etc
- CER - As per Public Hearing
Physical/Costing

 - Year of plantation to be completed.
 - CER works completion time
 - Plants inventory / No of tree to be cut according with Google image
 - If any violation.
 - If no of cutting trees more than Ecological loss assessment to be studied.
 - No. of D.G. set & its Power
 - No. lifts/floor wise
 - In campus if any commercial shops
 - Then parking
 - Utility places
 - Fencing by Boundary wall & or Wire fencing
 - Periphery length & plantation – No. of Rows
Width of plantation.